कमल कान्ति दत्ता और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

(Kamal Kanti Dutta and Others

v.

Union of India and Others)

तथा

हुंडराज कन्हैयालाल सजनानी

बनाम

भारत संघ और अन्य

(Hundraj Kanyalal Sajnani

v.

Union of India and Others)

(25 अप्रैल, 1980)

(मुख्य न्यायाधिपति वाई० वी० चन्द्रचूड़, न्यायाधिपति एन० एल० ऊंटवालिया, पी० एस० कैलाशम्, डी० ए० देसाई और ई० एस० वेंकटरामैया)

आयकर अधिकारी (वर्ग I, ग्रेड II) सेवा भर्ती नियम, 1945 – नियम 4 [सपठित आयकर (वर्ग 1) सेवा (ज्येष्ठता का विनियमन) नियम, 1973, नियम 3]—आयकर सेवा में सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच परस्पर ज्येष्ठता और प्रोन्नति—ज्येष्ठता सूची का तैयार किया जाना—नियम की सांविधानिकता सेवा के कुछ सदस्यों को कारित किसी कठिनाई, असुविधा या अन्याय पर निर्भर नहीं करती है—सेवा में ज्येष्ठता अवधारित करने का मूल सिद्धान्त ऐसा होना चाहिए जिससे यथासम्भव सेवा के अधिकांश सदस्यों को न्याय प्राप्त हो सके।

संविधान, 1950 अनुच्छेद 137—निर्णय या आदेशों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन – उच्चतम न्यायालय को नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य की खोज के तौर पर नवीन तथ्यों के जानकारी में आए बिना अपने द्वारा पहले किए गए विनिश्चयों का केवल गुणागुण के आधार पर पुनर्विलोकन करना न्यायोचित नहीं है—न्यायालय को अपनी पुनर्विलोकन शक्ति का यदा-कदा ही प्रयोग करना चाहिए।

संविधान, 1950 अनुच्छेद 16—लोक सेवा के मामलों में अवसर की समानता उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसरण में नियम बनाया जाना—उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसरण में बनाया गया ज्येष्ठता नियम और तैयार की गई नई ज्येष्ठता सूची मनमानी और विभेदपूर्ण नहीं है और इससे अनुच्छेद 16 के अधीन मूल अधिकार का कोई अतिक्रमण नहीं होता।

1974 के रिट पिटीशन सं० 66 के तीनों पिटीशनर प्रोन्नत व्यक्ति हैं। 1978 के रिट पिटीशन सं० 4146 के पिटीशनर संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर तारीख 1 जुलाई, 1947 को आयकर अधिकारी, वर्ग II (प्रशिक्षणार्थी) के रूप में सीधे नियुक्त किए गए थे। पिटीशनरों की एक मुख्य व्यथा यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए पूर्ववर्ती विनिश्चयों में से कुछ गलत हैं और कुछ को ज्येष्ठता के नियम विरचित करते समय उचित रूप से समझा नहीं गया है और उनका उचित निर्वचन नहीं किया गया है। पिटीशनरों ने जो वर्ग I, ग्रेड II के प्रोन्नत आयकर अधिकारी हैं, विनिर्दिष्ट रूप से एस० जी० जय सिंघानी **बनाम** भारत संघ और अन्य [1967] 3 एस० सी० आर० 703, बिशनसरूप गुप्ता **बनाम** भारत संघ और अन्य (जिसे संक्षेप में गुप्ता वाला प्रथम मामला कहा गया है) [1974] 2 उम० नि० प० 1128=[1973] सप्लीमेण्ट एस० सी० आर० 491, बिशनसरूप गुप्ता और अन्य **बनाम** भारत संघ और अन्य (जिसे संक्षेप में गुप्ता वाला दूसरा मामला कहा गया है) [1975] एस० सी० आर० 104 के तीनों मामलों के विनिश्चयों पर पुनर्विचार करने के लिए और भारत संघ और अन्य **बनाम** मालजी जंगमैया और अन्य [1977] 4 उम० नि० प० 792=[1977] 2 एस० सी० आर० 28 के मामले में प्रथम उल्लिखित

1980(4) eILR(PAT)SC 1

मामले की सीमा तक अवलम्ब लेने के लिए निम्नलिखित आधारों पर प्रार्थना की है—

(1) यह निष्कर्ष कि आयकर अधिकारी (वर्ग I, ग्रेड II) सेवा भर्ती नियम, 1945 [इन्कम टैक्स आफिसर्स (क्लास I, ग्रेड II) सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स, 1945] का नियम 4 कानूनी नियम है और इसलिए नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए आयकर अधिकारी वर्ग I, ग्रेड II में भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा विहित कोटा कानूनी होगा, ऐसी उपधारणा पर आधारित है जिसको इस मुद्दे से सम्बन्धित विधि के उपबन्धों का समर्थन प्राप्त नहीं है और यदि नियम 4 और नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में विहित अनुमानित कोटा दोनों ही कानूनी नहीं दर्शाए जाते हैं तो वह आधार जिस पर जयसिंघानी [1967] 3 एस० सी० आर० 703 का मामला आधारित है, विफल हो जाएगा क्योंकि उदाहरणत: यह बात सिद्ध की जा सकती है कि न तो नियम 4 और न ही उसके अधीन विहित कोटा कानूनी स्वरूप का था किन्तु अधिक से अधिक वह एक प्रशासनिक अनुदेश था।

(2) न्यायालय ने कोटा नियम का निर्वचन करने पर यह अभिनिर्धारित किया था कि कोटा प्रत्येक वर्ष में उस ग्रेड में उद्भूत होने वाली रिक्तियों से सम्बन्धित था। यह निकाला गया निष्कर्ष इस निष्कर्ष के अनुरूप नहीं था किन्तु प्रत्येक वर्ष में उस ग्रेड में होनी वाली रिक्तियों के बारे में न्यायालय को जानकारी देने के लिए भारत सरकार की तथाकथित अयोग्यता (जिसे अब तथ्यत: असत्य दर्शाया गया है) को निभाने के लिए था जिसका परिणाम यह था कि पिछड़े हुए व्यक्तियों की सम्पूर्ण गणना दूषित हो गई है।

(3) जय सिंघानी [1967] 3 एस० सी० आर० 703 के मामले में जारी किए गए परमादेश का सरकार द्वारा गलत निर्वचन किया गया था क्योंकि यदि कोटा कानूनी था तो भी वह केवल वर्ष 1951 से 1956 के बीच ही प्रवृत्त था किन्तु सरकार ने परमादेश को वर्ष 1956 के बाद वर्ष 1967 तक भी प्रवृत्त होने के रूप में निर्वचन किया था और इस गलत निर्वचन को गुप्ता वाले प्रथम मामले में बतलाया गया है।

(4) गुप्ता वाले प्रथम मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि कोटे को वर्ष 1956 के बाद कानूनी रूप में मानने के लिए दिया गया परमादेश

न्यायोचित नहीं था, फिर भी तारीख 16 जनवरी, 1959 तक न्यायालय ने स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से कोटा नियम को मार्गदर्शक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया था और यह माना था कि 73 प्रोन्नत व्यक्ति बच गए हैं। यदि नियम 4 कानूनी नहीं था और परिणामस्वरूप उस शक्ति के, जिसकी विहित कालावधि वर्ष 1956 में समाप्त हो गई थी, प्रयोग में विहित कोटे को किसी नियुक्ति को अविधिमान्य रूप में ठहराने के लिए इस आधार पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था कि उन प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए, जिन्हें बचे हुए व्यक्तियों के रूप में माना गया है, कोई भी आबंटित पद नहीं थे, क्योंकि स्वयं नियम 4 के अधीन सरकार को किन्हीं विशेष रिक्तियों या ऐसी रिक्तियों को, जिनकी किसी विशेष कालावधि के दौरान भरे जाने की अपेक्षा की जा सकती है, भरे जाने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति या पद्धतियां और प्रत्येक पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अवधारित करने की शक्ति थी।

(5) वर्ग II, ग्रेड III से वर्ग I, ग्रेड II में वर्ष 1959 से 1962 के बीच 214 पदों का दर्जा बढ़ाने में सरकार की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती थी चूंकि उस प्रक्रम पर कोई कोटा नियम नहीं था और नियम 4 सरकार को अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दो स्रोतों में से किसी भी स्रोत से भर्ती करने के लिए समर्थ बनाता था। गुप्ता वाले दूसरे मामले में ज्येष्ठता नियम को कायम रखने में न्यायालय ने कोटा नियम को भूतलक्षी रूप से लागू किया था जो कि अनुज्ञेय नहीं है और उसका प्रवर्तन स्पष्ट रूप से उसकी बहुत बड़ी असंगतता को दर्शाता है क्योंकि सीधी भर्ती वाला व्यक्ति, जो विभाग में कहीं भी न हो, या विद्यार्थी हो सकता है, किसी ऐसे प्रोन्नत व्यक्ति से आगे बढ़ सकता है जो वर्ग I ग्रेड II में कार्य कर रहा है। रिट पिटीशन ख़ारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—विरोधी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् जय सिंघानी के मामले, गुप्ता वाले प्रथम मामले, गुप्ता वाले दूसरे मामले और जंगमैया के मामलों में उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने के लिए पिटीशनरों की ओर से की गई प्रार्थना में कोई सार नहीं है। (पैरा 47)

वर्ष 1950 के पश्चात् लगभग एक दशाब्दी तक प्रोन्नत व्यक्तियों की नियुक्तियां उनके लिए उपलब्ध कोटा से अधिक की गई थीं जब तक कोटा

1980(4) eILR(PAT) SC 1

नियम प्रवृत्त रहा था तब तक उनकी नियुक्तियों को पश्चात्वर्ती वर्षों में उनके कोटे के भीतर पदों के उपलभ्य होने पर विनियमित करना सम्भव था। किन्तु वर्ग II के पदों का वर्ग I, ग्रेड II के पदों में दर्जा बढ़ाए जाने से, जिनमें से 100 पदों का तारीख 16 जनवरी, 1959 को और 114 पदों का तारीख 9 दिसम्बर, 1960 को दर्जा बढ़ाए जाने से, असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। पदों का इतनी अधिक मात्रा में दर्जा बढ़ाए जाने से कोटा नियम प्रायः समाप्त ही हो गया था। ऐसे पदों में, जो तत्पश्चात् भरे जाने के लिए उपलभ्य हुए थे, पश्चात्वर्ती आमेलन से वास्तविक रूप से ऐसी नियुक्तियों का विनियमन अभिप्रेत है जो सम्भव हो, परन्तु कोटा नियम से अत्यधिक विचलन नहीं होना चाहिए। प्रोन्नत व्यक्तियों के अवसरों के लिए कोई भी दोष इस आधार पर नहीं लगाया जा सकता कि वे उनके लिए उपलभ्य कोटे से अधिक मात्रा में नियुक्त किए गए थे। तथापि उनकी नियुक्तियों से प्रशासन प्रशासकीय गड़बड़ियों को दूर करने में समर्थ हुआ होगा। किन्तु कठिन समस्या, जिसका प्रशासन को सामना करना पड़ा है, यह है कि चूंकि ऐसे प्रोन्नत व्यक्तियों के, जो उनके कोटा से अधिक नियुक्त किए गए हैं, दावों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है, तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रोन्नत व्यक्तियों की अत्यधिक नियुक्तियों के कारण सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की सेवा पर कोई असम्यक् असर न पड़े। सेवा के दो प्रवर्गों के, जिन दोनों का अपना-अपना महत्व है, विवादास्पद दावों का हल किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से नियमों का समय-समय पर उपान्तरण किया गया है। उन मामलों में, जिनका पिटीशनर पुनर्विलोकन करवाना चाहते हैं इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय बिना किसी शंका के किस प्रकार से यह बात सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया गया है कि केवल प्रोन्नत व्यक्तियों को ही कोई कठिनाई न हो या उनके साथ कोई अन्याय न हो क्योंकि उनकी नियुक्तियां उनके कोटे से अधिक की गई हैं। (पैरा 48)

वास्तविक नियुक्तियों की संख्या द्वारा उपलभ्य रिक्तियों की संख्या अवधारित की जानी चाहिए। अस्पष्ट क्षेत्र में, जहां सेवा नियम प्रवृत्त होते हैं, या तो तर्क या सामान्य ज्ञान का ध्यान रखते हुए सदैव ही एक से अधिक मत अपनाना सम्भव होता है किन्तु अन्तिम मत ऐसी कई बातों द्वारा सशर्त होना चाहिए जिससे यथासम्भव अधिकतम व्यक्तियों को न्याय प्राप्त हो सके और बहुत ही कम लोगों के साथ अन्याय हो। (पैरा 49)

1980(4) eILR(PAT) SC 1

प्रोन्नत व्यक्तियों को केवल इस कारण से दण्डित नहीं किया जाना चाहिए कि उनमें से कुछ व्यक्तियों को, जो तारीख 16 जनवरी, 1959 के पश्चात् नियुक्त किए गए थे, स्थानापन्न या तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से बतला दी गई थी कि उनकी वरिष्ठता का प्रश्न अभी भी अविनिश्चित है। तथापि उनकी नियुक्तियों की परिस्थितियों पर इस बात का अवधारण करने के लिए पूर्ण रूप से उपेक्षा नहीं की जा सकती कि क्या सांविधानिक सिद्धान्तों का अतिक्रमण हुआ है। (पैरा 51)

प्रोन्नत व्यक्तियों के साथ हुए अन्याय के उदाहरण के रूप में उद्धृत व्यक्तिगत उदाहरणों के सम्बन्ध में व्यक्तियों के भाग्य की कसौटी पर सेवा नियम की सांविधानिकता को परखना सुरक्षित नहीं है। किसी भी नियम से, चाहे जिस सावधानी, उद्देश्य और दूरदर्शिता से बनाया गया हो, सेवा के कुछ सदस्यों को कुछ कठिनाई, असुविधा या उनके साथ अन्याय होना अवश्यम्भावी है। महत्वपूर्ण बात सेवा के दो महत्वपूर्ण अंगों के, जिनमें से एक युवा वर्ग है और दूसरा परिपक्व अनुभव वाला है, विरोधी दावों को हल करना आवश्यक है। (पैरा 52)

उच्चतम न्यायालय को बहुत ही सरलता से अपने विनिश्चयों का गुणागुण के आधार पर पुनर्विलोकन नहीं करना चाहिए क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए कोई औचित्य नहीं है। प्रस्तुत मामले में किसी नवीन और महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कोई ऐसे नवीन तथ्य नहीं हैं जो प्रतियोगी दलीलों की बहुत ही सावधानीपूर्वक परीक्षा करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले किए गए विनिश्चयों पर पुनर्विचार करने को न्यायोचित ठहराते हों। (पैरा 55)

उच्चतम न्यायालय को अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने की सांविधानिक शक्ति है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका यदाकदा ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे किसी पुनर्विलोकन की प्रवृत्ति ऐसे प्रश्नों को अव्यवस्थित करने की होती है जिनका अन्तिम रूप से अवधारण किया जा चुका है। (पैरा 60)

1980(4) eILR(PAT) SC 1

	निर्दिष्ट निर्णय	पैरा
[1977]	[1977] 4 उम० नि० प० 792=[1977] 2 एस० सी० आर० 28 : **भारत संघ बनाम एम० जंगमय्या** (Union of India *v.* M. Jangamayya);	42, 44, 47, 59
[1977]	[1977] 4 उम० नि० प० 615=[1977] एस० सी० आर० 1037 : **एन० के० चौहान और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य** (N. K. Chauhan and Others *v.* State of Gujarat and Others);	73
[1976]	[1976] 4 उम० नि० प० 1083=[1976] 3 एस० सी० आर० 99: **मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, विक्रय कर, जबलपुर** [Manganese ore(India) Ltd. *v.* The Regional Assistant Commissioner of Sales Tax, Jabalpur] ;	61
[1975]	[1975] 2 उम० नि० प० 934=[1975] 3 एस० सी० आर० 201 : **पी० सी० सेठी और अन्य बनाम भारत संघ** (P. C. Sethi and Others *v.* Union of India);	65
[1975]	[1975] 1 एस० सी० आर० 104 : **बिशन सरूप गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य** (Bishan Sarup Gupta *v.* Union of India and Others);	34, 44, 47, 53, 59, 69, 70, 73.
[1974]	[1974] 2 उम० नि० प० 1128=[1975] सप्लीमेंट एस० सी० आर० 491: **बिशन सरूप गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य** (Bishan Sarup Gupta *v.* Union of India and Others);	24, 25, 34, 44, 47, 59, 68, 69, 70, 73.

1980(4) eILR(PAT) SC 1

[1967]	[1967] 2 एस० सी० आर० 703: **एस० जी० जय सिंघानी बनाम भारत संघ और अन्य** (S. G. Jaisinghani *v.* Union of India and Others);	24, 44, 47, 49, 59, 63, 64, 66, 67, 73.
[1965]	[1965] 1 एस० सी० आर० 933 : **सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य** (Sajjan Singh *v.* State of Rajasthan);	55, 61
[1965]	[1965] 2 एस० सी० आर० 908: **केशव मिल्स कम्पनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त उत्तरी मुम्बई** (Keshav Mills Co. Ltd. *v.* Commissioner of Income Tex, Bombay North);	61
[1952]	[1952] एस० सी० आर० 89: **श्री संकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ और बिहार राज्य** (Shri Sankari Prasad Singh Deo *v.* Union of India and State of Bihar).	16

आरम्भिक अधिकारिता : 1974 की रिट पिटीशन सं० 66 और 1978 की रिट पिटीशन सं० 4146.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट पिटीशन।

पिटीशनरों की ओर से (रिट पिटीशन सं० 66/74 में)	सर्वश्री वी० एम० तारकुंडे, जे०एन० हलदर, रथिन दास और ए० के० सांघी
पिटीशनरों की ओर से (रिट पिटीशन सं० 4146/78 में)	सर्वश्री वाई० एस० चितले, मुकुल मुदगल और बी० आर० अग्रवाल
प्रत्यर्थी सं० 1-3 की ओर से (रिट पिटीशन सं० 66 में) **तथा प्रत्यर्थी सं० 1-2 की ओर से** (रिट पिटीशन सं० 4146 में)	श्री एस० एन० कक्कड़, सालिसिटर जनरल (रिट पिटीशन सं० 4146 और 66 में), श्री आर० एन० सचदे श्री ई० सी० अग्रवाल और कुमारी ए० सुभाषिणी

प्रत्यर्थी सं० 4 की ओर से (रिट पिटीशन सं० 4146 में) तथा **मध्यक्षेपी** (गुज्जर मल) **की ओर से**	सर्वश्री राम पंजवानी, राज पंजवानी, एस० के० बग्गा और श्रीमती एस० बग्गा
प्रत्यर्थी सं० 6 की ओर से (रिट पिटीशन सं० 4146 में) तथा **प्रत्यर्थी सं० 358 की ओर से** (रिट पिटीशन सं० 66 में)	सर्वश्री राम पंजवानी, बिशम्भर लाल, राज पंजवानी और विजय पंजवानी
प्रत्यर्थी सं० 7 की ओर से (रिट पिटीशन सं० 4146 में)	श्री योगेश्वर प्रसाद श्रीमती रानी छावड़ा
मध्यक्षेपियों की ओर से 1. श्री हरी नारायण 2. श्री एल एस० चक्रवर्ती	श्री ए० के० सांधी

अभिलेख-अधिवक्ता

पिटीशनरों की ओर से (रिट पिटीशन 66 सं० में)	श्री रथिन दास
पिटीशनर की ओर से (रिट पिटीशन 4146 में)	मैसर्स गगरट एंड कम्पनी
प्रत्यर्थी सं० 1-3 की ओर से (रिट पिटीशन 66 में) और **प्रत्यर्थी सं० 1-2 की ओर से** (रिट पिटीशन सं० 4146 में)	कुमारी ए० सुभाषिणी
प्रत्यर्थी सं० 4 की ओर से (रिट पिटीशन सं० 4146 में) और **मध्यक्षेपी (गुज्जर मल) की ओर से** तथा **प्रत्यर्थी सं० 6 की ओर से** (रिट पिटीशन 4146 में) तथा **प्रत्यर्थी सं० 358 की ओर से** (रिट पिटीशन सं० 66 में)	मैसर्स बग्गा
प्रत्यर्थी सं० 7 की ओर से (रिट पिटीशन सं० 4146 में)	श्रीमती रानी छाबड़ा

1980(4) eILR(PAT) SC 1

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायाधिपति चन्द्रचूड़ ने दिया।

मुख्य न्यायाधिपति चन्द्रचूड़—

सरकार के विभिन्न विभागों में प्रोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के बीच विवादों का कोई अन्त प्रतीत नहीं होता है। ज्योंही मुकदमे के एक दौर का विनिश्चय किया जाता है त्यों ही किसी एक पक्षकार या दूसरे पक्षकार द्वारा, जैसा कि इन रिट पिटीशनों में हुआ है, कभी-कभी यह अभिकथन करते हुए मुकदमे का दूसरा दौर शुरू कर दिया जाता है कि पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि या तो उन्हें छिपाया गया था या उन्हें उद्धृत तो किया था किन्तु उनकी उपेक्षा की गई थी या उन्हें गलत समझा गया था। इस प्रकार उसके परिणामस्वरूप पुनर्विलोकन की मांग की जाती है और नवीन मुकदमों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। विभिन्न सेवाओं के सदस्यों के बीच परस्पर विवादों के अतिरिक्त मुकदमों के कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जहां यह सिद्धान्त बलपूर्वक लागू किया जा सकता है कि लोक नीति यह अपेक्षा करती है कि सब मुकदमे अवश्य ही समाप्त होने चाहिएं। लोक सेवकों को न्यायालय की लड़ाइयों में घसीटा नहीं जाना चाहिए, और उन्हें अपना समय और बल न्यायालय की लड़ाई में नष्ट नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा उनका ध्यान लोक कार्यों की बजाय प्राइवेट कार्यों की ओर आकर्षित होता है और उनके पारस्परिक विवाद उनकी एकता की भावना को प्रभावित करते हैं। एकता की भावना बिना कोई भी संस्थान प्रभावी रूप में कार्य नहीं कर सकता। राज्य सरकारों द्वारा सेवा अधिकरणों के गठन से, जिनमें केन्द्र में एक शीर्ष अधिकरण हो और जो मामलों की सन्दिग्धार्थता में ज्येष्ठता के जटिल प्रश्न सहित सेवा की शर्तों से सम्बन्धित संविवादों के लिए अन्तिम मध्यस्थ हो, न्यायालय को सेवा से सम्बन्धित मामलों में रिट पिटीशनों और अपीलों की भीड़ से बचाया जा सकता है। ऐसे अधिकरणों की कार्यवाहियों में विधि-विरुद्धता का गुणागुण हो सकता है, और यदि उन्हें साक्ष्य के कड़े नियमों द्वारा आबद्ध नहीं किया जाए तो वे समस्याओं का ऐसा हल निकाल सकते हैं जिससे बहुतों का समाधान हो सकता है और केवल कुछ ही असंतुष्ट हो सकते हैं। सदैव ही ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें कोई भी बात प्रसन्न नहीं कर सकती।

2. 1974 के रिट पिटीशन सं० 66 के तीनों पिटीशनर प्रोन्नत व्यक्ति हैं। पिटीशनर सं० 1 कमल कान्ति दत्ता तारीख 7 दिसम्बर, 1950 को आय-कर निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे विभागीय परीक्षा पास करने के पश्चात् तारीख 21 जून, 1954 को आय-कर अधिकारी, वर्ग II के रूप में प्रोन्नत किया गया था। तारीख 1 जनवरी, 1966 को उसे आय-कर अधिकारी, वर्ग I के रूप में प्रोन्नत किया गया था और वह उस पद को पिटीशन की तारीख अर्थात् 8 फरवरी, 1974 को धारित किए था। पिटीशनर सं० 2 और 3 विकास मोहन दास गुप्त और सुशील रंजन दास अप्रैल, 1955 में आय-कर निरीक्षक के रूप में प्रोन्नत किए गए थे। विकास मोहन दास गुप्त दिसम्बर, 1957 में आयकर-अधिकारी वर्ग II के रूप में प्रोन्नत किया गया था। सुशील रंजन दास अगस्त, 1973 में आय-कर अधिकारी वर्ग II के रूप में प्रोन्नत किया गया था।

3. पिटीशन के प्रत्यर्थी सं० 1 से 5 क्रमश: भारत संघ, वित्त मंत्रालय के सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, गृह मन्त्रालय के सचिव और संघ लोक सेवा आयोग हैं। प्रत्यर्थी सं० 6 से 357, जो आय-कर अधिकारी, वर्ग I के रूप में सीधे भर्ती किए गए थे, पिटीशनर सं० 1 के तारीख 1 जनवरी, 1966 को उस काडर में प्रोन्नत किए जाने के पश्चात् आय-कर अधिकारी वर्ग I के रूप में परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए थे। प्रत्यर्थी सं० 280 से 357 मई, 1951 में पिटीशनर सं० 2 के उस काडर में प्रोन्नत किए जाने के पश्चात् आय-कर अधिकारी वर्ग I के रूप में परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए थे।

4. प्रत्यर्थी सं० 358, एस० जी० जयसिंघानी, जो सन् 1951 में आय-कर अधिकारी, वर्ग I के रूप में सीधे-भर्ती किया गया था, पिटीशन की तारीख को सहायक आयकर-आयुक्त का रैंक धारित किए हुआ था। वह सुसंगत समय पर नई दिल्ली में अन्वेषण, उप-निदेशक के रूप में तैनात थे। प्रत्यर्थी सं० 359 मोहन चन्द्र जोशी, जो सन् 1953 में आयकर अधिकारी, वर्ग 1 के रूप में सीधे भर्ती किए गए थे, इसके समान रैंक धारित किए हुए थे और भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय में उप सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे।

5. 1978 के रिट पिटीशन सं० 4146 में पिटीशनर हुंडराज कन्हैया लाल सजनानी, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, तारीख 1 जुलाई,

1947 को आय-कर अधिकारी, वर्ग II (प्रशिक्षणार्थी) के रूप में सीधे नियुक्त किए गए थे। परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेने के पश्चात् उसने जुलाई, 1950 में आयकर अधिकारी की विभागीय परीक्षा पास की थी। सन् 1959-60 में उसे आय-कर अधिकारी, वर्ग I के रूप में प्रोन्नत किया गया था और तारीख 9 दिसम्बर, 1960 से उस काडर में स्थायी कर दिया गया था। उसे तारीख 17 दिसम्बर, 1969 से सहायक आय-कर आयुक्त के रूप में प्रोन्नत किया गया था।

6. उस पिटीशन के प्रत्यर्थी सं० 1 से 3 क्रमशः भारत संघ, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग हैं। प्रत्यर्थी सं० 4 से 8 क्रमशः बी० डी० राय, एस० जी० जयसिंघानी, एम० सी० जोशी, बी० एस० गुप्ता और एम० जंगामय्या हैं। ये अधिकारी इस न्यायालय के कतिपय सुविख्यात विनिश्चयों में पक्षकार बनाए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके नाम सेवा विधि-शास्त्र में बहुत ही सामान्य शब्द हो गए हैं। वास्तव में श्री बी० एस० गुप्त का नाम दो प्रकार के वादों में आया है जो गुप्ता वाला प्रथम मामला और गुप्ता वाला दूसरा मामला के नाम से ज्ञात हैं। प्रत्यर्थी सं० 4, 7 और 8 सहायक आय-कर आयुक्त हैं जब कि प्रत्यर्थी सं० 5 और 6 अन्वेषण उप-निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

7. इन पिटीशनों को करने के लिए मुकदमे के इतिहास को उचित रूप से समझे बिना इन रिट पिटीशनों में चाहे गए अनुतोष की प्रकृति का अधिमूल्यन करना कठिन होगा। वह इतिहास बिल्कुल ही उलझा हुआ है। पिटीशनरों की एक मुख्य व्यथा यह है कि इस न्यायालय द्वारा किए गए पूर्ववर्ती विनिश्चयों में से कुछ गलत हैं और कुछ को ज्येष्ठता के नियम विरचित करते समय उचित रूप से समझा नहीं गया है और उनका उचित निर्वचन नहीं किया गया है। इसलिए पूर्ववर्ती कार्यवाहियों को निर्दिष्ट करना आवश्यक है जिसके कारण वर्तमान संविवाद हुआ है।

8. आय-कर प्रशासन में सुधार करने की दृष्टि से भारत सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके तत्समय विद्यमान आय-कर सेवा, वर्ग I और II का पुनर्गठन करने और वर्गीकरण करने का विनिश्चय किया था। सेवा के पुनर्गठन की स्कीम भारत सरकार के वित्त विभाग (केन्द्रीय राजस्व) के तारीख 29 सितम्बर, 1944 के पत्र में उल्लिखित की

गई थी। उक्त पत्र सभी आय-कर आयुक्तों को भेजा गया था। केन्द्रीय सेवा, वर्ग I, में (1) आय-कर आयुक्त, (2) सहायक आय-कर आयुक्त, (3) आय-कर अधिकारी ग्रेड I, और (4) आयकर अधिकारी, ग्रेड II सम्मिलित होते थे। केन्द्रीय सेवा वर्ग II में आय-कर अधिकारी, ग्रेड III सम्मिलित होते थे। इस प्रकार आय-कर अधिकारी वर्ग I के दो ग्रेड होने थे, ग्रेड I, और II, जबकि आय-कर अधिकारी, वर्ग II में केवल एक ही ग्रेड अर्थात् ग्रेड III होना था। उपर्युक्त पत्र के पैरा 2 के खण्ड (ए) से (ई) वर्ग I और वर्ग II विभिन्न पदों पर भर्ती के ढंग विहित करते हैं। पत्र के खंड (डी) में, जिसमें आय-कर अधिकारी, वर्ग I, ग्रेड II के पद की भर्ती का ढंग विहित किया गया है, निम्नलिखित बात कही गई है –

> "ग्रेड II में भर्ती आंशिक रूप से प्रोन्नति द्वारा और आंशिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी। इस ग्रेड में उद्भूत होने वाली रिक्तियों का 80 प्रतिशत भारतीय लेखा परीक्षा (इण्डियन आडिट एण्ड अकाउंट्स) तथा सहायक सेवा (अलाइड सर्विस) की परीक्षा की मार्फत सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। रिक्तियों का शेष 20 प्रतिशत ग्रेड III (वर्ग 2 सेवा) से चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा परन्तु यह तब जबकि अपेक्षित संख्या तक नियुक्ति के लिए उपर्युक्त व्यक्ति उपलभ्य हों। कोई भी अधिशेष रिक्तियां, जो उपर्युक्त अभ्यर्थियों के अभाव के कारण प्रोन्नति द्वारा भरी नहीं जा सकी, इण्डियन आडिट एण्ड अकाउंट्स सर्विस परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के कोटे में जोड़ दी जाएगी।"

9. आय-कर अधिकारी (वर्ग I, ग्रेड II) सेवा में भर्ती को विनियमित करने वाले नियम, जो वर्ष वार परिवर्तित किए जा सकते थे, वित्त विभाग, (केन्द्रीय राजस्व) के संकल्प द्वारा तारीख 26 मई, 1945 को प्रकाशित किये गए थे। नियम 3 में यह उपबन्ध किया गया है कि वर्ग I, ग्रेड II सेवा में भर्ती (i) नियमावली के भाग 2 के अनुसार भारत में ली गई प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, और (ii) नियमावली के भाग 3 के अनुसार ग्रेड (III) (वर्ग II सेवा) से चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा की जाएगी। नियम 4 के अनुसार सरकार को, नियम 3 के उपबन्धों के अध्यधीन, किन्हीं विशेष रिक्तियों या

1980(4) eILR(PAT) SC 1

ऐसी रिक्तियों को, जिन्हें किसी विशेष कालावधि के दौरान भरे जाने की अपेक्षा हो, भरने के प्रयोजन के लिए लागू की जाने वाली पद्धति या पद्धतियां अवधारित करनी थीं तथा प्रत्येक पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी अवधारित करनी थीं। नियमावली का भाग 3 "प्रोन्नति द्वारा भर्ती" से सम्बन्धित है जिसके पैरा 21 में यह उपबन्ध है कि प्रोन्नति द्वारा भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के पश्चात् ग्रेड III के आय-कर अधिकारियों (वर्ग II सेवा) के बीच से चयन द्वारा की जाएगी तथा ऐसी प्रोन्नति के लिए किसी भी अधिकारी का साधिकार कोई दावा नहीं होगा।

10. तारीख 24 जनवरी, 1950 के पत्र द्वारा भारत सरकार ने (क) सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के बीच, (ख) वर्ग II से चयन किए गए प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच, और (ग) उन सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के बीच जिन्होंने किसी दिए हुए वर्ष में अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है तथा वर्ग I में उसी वर्ष में नियुक्त किए गए प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच ज्येष्ठता के कतिपय नियम अधिकथित किए गए थे।

11. तारीख 18 अक्तूबर, 1951 को भारत सरकार ने "आय-कर अधिकारी, ग्रेड II (वर्ग I सेवा) में प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का कोटा" विषय पर सब आय-कर आयुक्तों को एक पत्र लिखा था। पत्र में निम्नलिखित बात कही गई है—

> "भारत सरकार आय-कर अधिकारियों के वर्ग II से वर्ग I में प्रोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनुपात में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही थी। संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और वित्त विभाग (केन्द्रीय राजस्व) के पत्र सं० 195-प्रशासन (आय-कर)/39 तारीख 29 सितम्बर, 1944 के पैरा 2(डी) का उपान्तरण करके यह विनिश्चय किया गया है कि प्रथम बार में पांच वर्ष की कालावधि के लिए वर्ग I, ग्रेड II की रिक्तियों का 66-2/3 प्रतिशत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा और 33-1/3 प्रतिशत अधिशेष रिक्तियां ग्रेड III (वर्ग 2 सेवा) से चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी।

अधिशेष रिक्तियां, जो उपर्युक्त अभ्यर्थियों के अभाव के कारण प्रोन्नति द्वारा भरी नहीं जा सकती, प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के कोटे में जोड़ दी जाएंगी।"

12. तारीख 5 सितम्बर, 1952 के पत्र द्वारा भारत सरकार ने ज्येष्ठता के नियम को भूतलक्षी रूप से पुनरीक्षित किया था जो तारीख 24 जनवरी, 1950 से अधिकथित किए गए थे।

13. तारीख 24 जनवरी, 1950 को विरचित नियम 1(एफ) (iii) इस प्रकार है—

*"1(एफ) (iii) --

प्रोन्नत व्यक्ति, जिन्हें किसी भी कलैंडर वर्ष में आयोग द्वारा प्रमाणित किया गया है, उन सब सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे जिन्होंने उस वर्ष के दौरान या उसके पश्चात् अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है और उस वर्ष में या उसके पश्चात् किसी तारीख से स्थायी कर दिए गए हैं।"

तारीख 5 सितम्बर, 1952 को पुनरीक्षित नियम इस प्रकार है--

** पुनरीक्षित नियम—

"विभागीय प्रोन्नति समिति की अगली बैठक से पूर्व विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के अनुसार प्रोन्नत अधिकारी,

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"1(f)(iii) —

The promotees who have been certified by the Commission in any calendar year shall be senior to all direct recruits who complete their probation during that year or after and are confirmed with effect from a date in that year or after".

**Revised rules—

Officers promoted in accordance with the recommendation of the Departmental Promotion

1980(4) eILR(PAT) SC 1

उस कलैंडर वर्ष के जिसमें विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक हुई थी और पिछले तीन वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर नियुक्त किए गए सब सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे।"

14. 1952 की नियमावली का नियम 1 (एफ) (iv) ऐसी विशेष स्थिति से सम्बन्धित है जिसमें वर्ग II सेवा में प्रारम्भिक रूप से नियुक्त अधिकारी को उसी रीति में ज्येष्ठता दी जाती है जैसी कि विभागीय प्रोन्नति में दी जाती है, यदि उसके द्वारा विभागीय परीक्षा पास करने के पश्चात् वह प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप वर्ग I में नियुक्त किया जाता है।

15. सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आफिस प्रोसिजर मैन्युअल में प्रोन्नति के नियमों के अध्याय 9 के नियम 4 में यह कहा गया है कि वर्ग I, ग्रेड II के अधिकारी की ग्रेड I में प्रोन्नति के लिए विहित न्यूनतम सेवा पांच वर्ष की राजपत्रित सेवा है जिसमें एक वर्ष वर्ग I, ग्रेड II की सेवा भी सम्मिलित है। वर्ग II से वर्ग I, ग्रेड I में प्रोन्नति के लिए प्रोन्नत व्यक्ति की सेवा की न्यूनतम कालावधि वर्ग II में चार वर्ष और वर्ग 1, ग्रेड II में एक वर्ष की वास्तविक सेवा होगी।

16. सन् 1962 में एस० सी० जयसिंघानी ने (जो 1974 के रिट पिटीशन सं० 66 में प्रत्यर्थी सं० 353 है और 1978 के रिट पिटीशन सं० 4146 में प्रत्यर्थी सं० 5 है) संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पंजाब उच्च न्यायालय में 1962 का सिविल रिट पिटीशन सं० 189-डी फाइल किया था जिसमें आय-कर सेवा, वर्ग I, ग्रेड II के सम्बन्ध में ज्येष्ठता के नियमों की विधिमान्यता को तथा "कोटा नियम" के वास्तविक क्रियान्वयन को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) के अतिक्रमणकारी होने के रूप में चुनौती दी

Committee before the next meeting of the Departmental Promotion Committee shall be senior to all direct recruits appointed on the results of the examinations held by the Union Public Service Commission during the calendar year in which the Departmental Promotion Committee met and the three previous years."

थी। प्रोन्नत व्यक्तियों को, जिनके रिट पिटीशन के विनिश्चय से प्रभावित होने की सम्भावना थी, उस रिट पिटीशन के प्रत्यर्थी सं० 4 से 126 के रूप में जोड़ा गया था। जयसिंघानी ने, जो आय-कर अधिकारी, वर्ग I (ग्रेड II) के रूप में सीधे भर्ती किए गए थे, मुख्य रूप से निम्नलिखित चार दलीलें दी थीं —

(i) सन् 1952 में यथाविरचित ज्येष्ठता नियमावली का नियम 1(एफ) (iii), सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच, उनके वर्ग I, ग्रेड II सेवा में प्रवेश करने के पश्चात् अन्याय संगत वर्गीकरण पर आधारित था। उस वर्गीकरण के आधार पर प्रोन्नत व्यक्तियों को उसी वर्ष के सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के ऊपर ज्येष्ठता दी गई थी और उन्हें पिछले तीन वर्षों की अधिमानता भी दी गई थी। वर्ग I, ग्रेड II सेवा में नियुक्त किए गए सब अधिकारियों का एक वर्ग बना था और उस वर्ग में भर्ती किए जाने के पश्चात् सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच कोई प्रभेद नहीं किया जा सकता है।

(ii) नियम 1(एफ)(iv) विभेदकारी था क्योंकि पिटीशनर जयसिंघानी ने वर्ग I, ग्रेड II में नियुक्ति के लिए वर्ष 1950 की प्रतियोगी परीक्षा पास की थी, फिर भी उस पिटीशन के प्रत्यर्थी सं० 4, 5 और 6 को उस बनावटी नियम के प्रवर्तन द्वारा उससे वरिष्ठ माना गया था जिसके द्वारा उन्हें "समझे गए प्रोन्नत व्यक्ति" के रूप में माना गया था चूंकि वे वर्ष 1947 में वर्ग II, ग्रेड III में नियुक्त किए गए थे। उनमें से चारों ही व्यक्ति सन् 1951 में वर्ग I, ग्रेड II सेवा में नियुक्त किए गए थे और इसलिए वर्ग II, ग्रेड III सेवा में प्रत्यर्थी सं० 4, 5 और 6 द्वारा की गई सेवा की कालावधि की पिटीशनर के मुकाबले में उनकी ज्येष्ठता नियत करने के लिए संगणना नहीं की जा सकती है।

(iii) "सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आफिस प्रोसिजर मैन्युअल के अध्याय 9 का नियम 4 सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच भेदभाव करता है, और

(iv) वर्ष 1951 से 1956 के दौरान भारत सरकार के तारीख 18 अक्तूबर, 1951 के पत्र में अन्तर्विष्ट 2:1 के कोटा नियम के अतिक्रमण में 71 प्रोन्नत व्यक्तियों की अधिक भर्ती की गई थी । उस पत्र द्वारा नियत किए गए कोटे को तारीख 26 मई, 1945 को प्रकाशित आय-कर अधिकारी (वर्ग I, ग्रेड II) सेवा भर्ती नियम, 1945 के नियम 4 द्वारा दी गई कानूनी शक्ति के प्रयोग में नियत किया हुआ समझा जाना चाहिए ।"

17. पंजाब उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ, सर्किट न्यायपीठ, दिल्ली ने, रिट पिटीशन नामंजूर कर दिया था और यह अभिनिर्धारित किया था कि 1952 की नियमावली के नियम 1(एफ)(iii) और (iv) में अधिकथित सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच ज्येष्ठता अवधारित करने के लिए सिद्धान्त विभेदकारी नहीं थे, कि भारत सरकार द्वारा घोषित कोटा नियम केवल एक नीति-कथन था और उसका कोई कानूनी बल नहीं था, कि कोटा नियम से विचलन कोई न्यायोचित विवाद्यक नहीं खड़ा करता है और वर्ग I, ग्रेड II से वर्ग I, ग्रेड I में प्रोन्नतियों को लागू होने वाले प्रोन्नति नियम विभेदकारी नहीं थे, और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिकारातीत नहीं थे ।

18. अपील में इस न्यायालय की सांविधानिक न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि सन् 1952 में विरचित ज्येष्ठता नियम के नियम 1(एफ)(iii) और (iv) अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमण नहीं करते हैं चूंकि वे युक्तियुक्त वर्गीकरण पर आधारित थे और "सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आफिस प्रोसिजर मैन्युअल" के अध्याय 9 के नियम 4 को सीधे भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच कोई विभेद करने वाले नियम के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता । चूंकि नियम का उद्देश्य ज्येष्ठता नियमावली के नियम 1(एफ)(iii) की नीति को वास्तविक रूप से कार्यान्वित करना था और किसी व्यक्ति की वर्ग I, ग्रेड I में प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने से पूर्व वर्ग I, ग्रेड II में पांच वर्ष की सेवा की अपेक्षा द्वारा स्वयं नियम को विफल होने नहीं दिया जा सकता । कोटा नियम के अतिक्रमण में सन् 1951 से सन् 1956 तक के बीच प्रोन्नत व्यक्तियों की अत्यधिक भर्ती के प्रश्न पर न्यायालय ने अपील की सुनवाई के दौरान वित्त मंत्रालय के सचिव को उन

रिक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में यह जानकारी देने के लिए निदेश दिया था। कि वर्ष 1945 से आगे वर्षानुवर्ष कितनी रिक्तियां हुई थीं, रिक्तियों की प्रकृति स्थायी या अस्थाई है, रिक्तियों की शृंखला और ऐसे अन्य ब्यौरे जो न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों से सुसंगत थे। तारीख 31 जनवरी, 1967 के शपथपत्र में वित्त सचिव श्री आर० सी० दत्त ने यह कहा था कि वह अपने भरसक प्रयत्न के बावजूद भी किसी विशिष्ट वर्ष में होने वाली रिक्तियों की संख्या को मालूम करने में असमर्थ रहा है। तथापि सुसंगत वर्षों के दौरान वर्ग I सेवा में भर्ती की दो पद्धतियों द्वारा भर्ती किए गए अधिकारियों की संख्या दर्शाने वाला एक कथन, प्रदर्श ई न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय का यह मत था कि श्री दत्त के शपथपत्र से यह बात स्पष्ट नहीं थी कि क्या कोटा नियम का प्रश्नगत वर्षों के दौरान यथावत् अनुपालन किया गया था और उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया था कि सुसंगत वर्षों में वर्ग I, ग्रेड II में स्थायी रिक्तियों की संख्या के अभाव में महासालिसिटर यह बात दर्शाने में असमर्थ थे कि किस सीमा तक उस नियम से विचलन हुआ था। महासालिसिटर की इस दलील को नामंजूर करते हुए कि कोटा नियम केवल एक प्रशासनिक निदेश था, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि आयकर अधिकारी (वर्ग I ग्रेड II) सेवा भर्ती नियम [इन्कम टैक्स आफिसर्स (क्लास I, ग्रेड 2) सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स] का नियम 4 एक कानूनी नियम था जिसके अधीन रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली पद्धति या पद्धतियां और प्रत्येक पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अवधारित करने का सरकार पर कानूनी कर्तव्य अधिरोपित किया गया था और तारीख 18 अक्तूबर, 1971 के भारत सरकार के पत्र में नियम 4 के बारे में कोई विनिर्दिष्ट निर्देश नहीं था, उस पत्र द्वारा नियत कोटा नियम 4 द्वारा दी गई कानूनी शक्ति के प्रयोग में नियत किया हुआ समझा जाना चाहिए। इसलिए भारत सरकार के पास अपनी स्वयं की इच्छानुसार किसी विशेष वर्ष में स्थिति की अत्यावश्यकता के अनुसार उस कोटा में परिवर्तन करने या कोटा से विचलन होने के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं था। न्यायालय के अनुसार कोटा नियम ज्येष्ठता नियमावली के साथ जोड़ दिया गया था और जब तक व्यवहार में उसका कठोरता से अनुपालन किया जाता है तब तक यह अभिनिर्धारित करना कठिन होगा कि नियम 1(एफ)(iii) में अन्तर्विष्ट ज्येष्ठता नियम अयुक्तियुक्त नहीं था और वह संविधान के अनुच्छेद 16 का अतिक्रमण

नहीं करता है। न्यायालय ने अपना निष्कर्ष इस प्रकार व्यक्त किया था—

> "तदनुसार हमारी यह राय है कि वर्ष 1951 से 1956 तक और उसके आगे के वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए विहित कोटा के आधिक्य में वर्ग II, ग्रेड III से वर्ग I, ग्रेड II में प्रोन्नत व्यक्ति अवैध रूप से प्रोन्नत किए गए हैं तथा अपीलार्थी परमादेश के स्वरूप का रिट प्राप्त करने के लिए हकदार हैं जिसमें प्रत्यर्थी सं० 1 से 3 तक को भारत सरकार के पत्र सं० एफ 24(2)–प्रशासन आयकर/51 तारीख 18 अक्तूबर, 1951 में विहित कोटा नियम के अनुसार वर्ष 1951 से 1956 तक और उससे आगे की कालावधि के लिए भर्ती का समायोजन करने के पश्चात् विधि के अनुसार अपीलार्थी और उसी के समान स्थिति वाले अन्य अधिकारियों की ज्येष्ठता का समायोजन करने के लिए और नवीन ज्येष्ठता सूची तैयार करने के लिए आज्ञा दी गई हो। हम यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह आदेश वर्ग II के ऐसे अधिकारियों को प्रभावित नहीं करेगा जो सहायक आयकर आयुक्त के रूप में स्थायी रूप से नियुक्त किए गए हों।"

न्यायालय ने यह सुझाव दिया है कि भविष्य के वर्षों के लिए सीधे भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच कोटा मालूम करने के लिए समुचित नियम विरचित करके रोस्टर पद्धति अपनाई जाए तथा उस क्रम को उपदर्शित करते हुए एक रोस्टर कायम रखा जाए जिसमें भर्ती की प्रत्येक पद्धति के लिए कानूनी नियम के अधीन नियत प्रतिशत के अनुसार सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा नियुक्तियां की गई हों।

19. संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन मोहन चन्द्र जोशी द्वारा फाइल किए गए 1966 के रिट पिटशन सं० 5 में न्यायालय द्वारा इसी प्रकार का परमादेश जारी किया गया था। जयसिंघानी के समान ही मोहन चन्द्र जोशी, वर्ग I, ग्रेड II में आयकर अधिकारी के रूप में सीधे भर्ती किए गए थे। अन्तर केवल यह था कि वह वर्ष 1953 में नियुक्त किए गए थे जबकि जयसिंघानी वर्ष 1951 में नियुक्त किए गए थे।

20. इस प्रकार सीधी भर्ती वाले व्यक्ति अपनी दलीलों में सारत: सफल हुए थे। कोटा नियम को कानूनी बल प्राप्त हो गया था। कोटा से अधिक

प्रोन्नत व्यक्तियों की नियुक्तियां अवैध हो गई थीं और सरकार को नवीन ज्येष्ठता सूची तैयार करना बाध्यकारी हो गया था। प्रोन्नत व्यक्तियों को लागू होने वाले कोटे से अधिक नियुक्त प्रोन्नत व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से ज्येष्ठता के अन्तिम वर्गीकरण में नीचे जाना पड़ा था।

21. इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त विनिश्चय तारीख 22 फरवरी, 1967 को दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा जारी किए गए परमादेश के बावजूद भी सरकार ने एक वर्ष तक नवीन ज्येष्ठता सूची तैयार नहीं की थीं जिसके परिणामस्वरूप जयसिंघानी और जोशी द्वारा एक अवमान पिटीशन फाइल किया गया था। तारीख 6 नवम्बर, 1968 को इस न्यायालय द्वारा वे कार्यवाहियां खारिज कर दी गई थीं। इस बीच तारीख 15 जुलाई, 1968 को सरकार ने नवीन ज्येष्ठता सूची तैयार की थी और उसे इस न्यायालय में फाइल किया था। वह सूची प्रोन्नत व्यक्तियों तथा सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों का समाधान करने में असफल रही है।

22. दिल्ली उच्च न्यायालय में नवीन ज्येष्ठता सूची को चुनौती देने के लिए दो रिट पिटीशन फाइल किए गए थे - एक 1962 के प्रोन्नत व्यक्ति बी० एस० गुप्ता द्वारा और दूसरा सीधी भर्ती वाले एम० सी० जोशी द्वारा, जो इस न्यायालय में मुकदमे के पहले दौर में सफल हो गए थे। इन रिट पिटीशनों की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय की दो पृथक् न्यायपीठों द्वारा की गई थी। बी० एस० गुप्ता द्वारा फाइल किया गया 1970 का रिट पिटीशन सं० 196 खारिज कर दिया गया था जब कि एम० सी० जोशी द्वारा फाइल किया गया 1970 का रिट पिटीशन सं० 550 सारतः मंजूर कर लिया गया था। ज्येष्ठता सूची को अपास्त करते हुए उच्च न्यायालय ने यह निदेश दिया था कि उसके निर्णय के दृष्टिकोण से एक अन्य ज्येष्ठता सूची तैयार की जाए।

23. उपर्युक्त दो रिट पिटीशनों में दिल्ली उच्च न्यायालय के विनिश्चय को चार अपीलों में इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी: एक बी० एस० गुप्ता द्वारा अपने रिट पिटीशन की खारिजी के विरुद्ध और अन्य तीन (i) सरकार, (ii) एम० सी० जोशी, और (iii) पांच प्रोन्नत व्यक्तियों द्वारा। इन सब अपीलों में एकमात्र विचारार्थ प्रश्न यह था कि क्या तारीख 15 जुलाई, 1968 को तैयार की गई ज्येष्ठता सूची सही थी और वह

1980(4) eILR(PAT) SC 1

जयसिंघानी बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए परमादेश के अनुसार थी। इन अपीलों की एक साथ सुनवाई की गई थी और उनका तारीख 16 अगस्त, 1972 के निर्णय द्वारा निपटारा किया गया था। उक्त निर्णय **बिशन सरूप गुप्ता** बनाम **भारत संघ और अन्य**[2] के मामले में रूप में प्रतिवेदित है।

24. ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय सरकार ने **जयसिंघानी के मामले**[1] में जारी किए गए परमादेश को 1951 से 1967 तक की सम्पूर्ण कालावधि को सम्मिलित करने वाले रूप में समझा था। ऐसा करने के लिए सरकार पर यह दोष नहीं लगाया जा सकता, चूंकि **जयसिंघानी के मामले**[1] में जारी किए गए परमादेश में सरकार को वर्ष 1951 से 1956 "और आगे" की कालावधि के लिए विभिन्न अधिकारियों की ज्येष्ठता समायोजित करने के लिए निदेश दिया गया था। यद्यपि प्रोन्नत व्यक्तियों की अत्यधिक भर्ती के सम्बन्ध में तर्क वर्ष 1951 से 1956 तक ही सीमित था। **बिशन सरूप गुप्ता**[2] के मामले में न्यायालय की ओर से न्यायाधिपति पालेकर ने प्रथम बार में यह मत व्यक्त किया था कि सम्भवत: इस न्यायालय के ध्यान में वह ज्येष्ठता सूची नहीं थी जो 1956 के पश्चात् प्रोन्नत व्यक्तियों के बारे में तैयार की गई थी और इसलिए इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के अधीन कोटा से अधिक प्रोन्नत व्यक्तियों की नियुक्तियों पर केवल वर्ष 1951 से 1956 तक की कालावधि के सम्बन्ध में ही विचार किया जा सकता है। "और आगे" (एण्ड आनवर्ड्स) शब्दों के प्रयोग के लिए कारण यह बतलाया गया था कि सरकार पश्चात्वर्ती वर्षों में अधिक प्रोन्नति को कम करने में समर्थ हो सके ताकि ऐसी प्रोन्नतियों को पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलभ्य विधिपूर्ण कोटे में आमेलित किया जा सके।

25. **बिशनसरूप गुप्ता के मामले**[2] में न्यायालय ने ज्येष्ठता को लागू होने वाले तारीख 15 जुलाई, 1968 के सरकारी पत्र में उल्लिखित सात सिद्धान्तों की शुद्धता की परीक्षा की थी। प्रथम सिद्धान्त सही रूप में स्वीकार किया गया था, द्वितीय और तृतीय सिद्धान्त को, जहां तक कि वे वर्ष 1952

---

[1] [1967] 2 एस० सी० आर० 703.

[2] [1974] 2 उम० नि० प० 1128=[1975] सप्लीमेंट एस० सी० आर० 491.

के सब प्रोन्नत व्यक्तियों के प्रति निर्देश को अपवर्जित करते थे। भागत: अशुद्ध रूप में अभिनिर्धारित किया गया था। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि वर्ष 1952 के प्रोन्नत व्यक्तियों को ज्येष्ठता सूची में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए चाहे वे प्रभावित हों या नहीं चूंकि उद्देश्य अत्यधिक प्रोन्नतियों को अभिनिश्चित करने का है।

26. तारीख 15 जुलाई, 1968 के पत्र में उल्लिखित चौथा सिद्धान्त, जो कि हमारे प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण है, इस प्रकार है—

> "प्रत्येक वर्ष में होने वाली रिक्तियों की गणना करने में होने वाली कठिनाई की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष में सीधे भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों की कुल संख्या को कोटा नियम कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए गणना में लेना चाहिए।

इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि तारीख 18 अक्तूबर, 1951 का नियम काडर के गठन से सम्बन्धित नहीं था, किन्तु इस बात से सम्बन्धित था कि "स्थायी रिक्तियों" को किस प्रकार से भरा जाए और इसलिए प्रोन्नत व्यक्ति किसी विशेष वर्ग की रिक्तियों के 1/3 हिस्से के लिए हकदार होंगे चाहे उस वर्ष में प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती हुई हो या नहीं। सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच 2:1 का यह कोटा इस बात पर निर्भर नहीं कर सकता कि किसी विशेष वर्ष में सीधी भर्ती वाले कोई व्यक्ति नियुक्त किए गए थे। इसलिए काडर में वास्तविक रिक्तियों को अवधारित करना आवश्यक हो गया था। किन्तु बी० एस० गुप्ता के मामले में भी सरकार ने यह अभिवाक् किया था कि किसी विशेष वर्ष में हुई रिक्तियों की वास्तविक संख्या देना उनके लिए सम्भव नहीं है। उस मामले में प्रोन्नत व्यक्तियों की ओर से हाजिर होने वाले काउन्सेल ने एक चार्ट फाइल किया था जो उपाबंध "1" के रूप में चिह्नित है और उनके अनुसार जो विशेष वर्षों की रिक्तियों की सही संख्या दर्शाता है। तथापि न्यायालय का यह मत था कि उस चार्ट में दिए गए अंकों के आधार पर भी वास्तविक रिक्तियां अवधारित करना असंभव है। इन परिस्थितियों में न्यायालय ने विशेष वर्षों में की गई नियुक्तियों की संख्या को, भरी जाने के लिए उपलभ्य वास्तविक रिक्तियों का सारत: प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के रूप में युक्तियुक्त स्वीकार किया था। इसके कारणों में से एक कारण, जो न्यायालय

1980(4) eILR(PAT) SC 1

ने इस निष्कर्ष के समर्थन में दिया था, यह था कि जब कोटा नियम रिक्तियों को निर्दिष्ट करता है, तब उसमें यह विवक्षित था कि रिक्तियां वे हैं जो सरकार भरना चाहती है, चाहे भरे जाने के लिए उपलभ्य रिक्तियों की संख्या जो भी हो। इस प्रकार यदि वर्ष 1953 में 53 पद सीधी भर्ती द्वारा और 38 पद प्रोन्नति द्वारा भरे गए थे, तो रिक्तियों की कुल संख्या, जो सरकार द्वारा भरी जानी आशयित थी, 91 होगी। प्रोन्नत व्यक्ति उन पदों में से 1/3 पद अर्थात् 30 पद धारित करने के लिए हकदार होंगे। इसलिए आठ प्रोन्नत व्यक्तियों को प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए उपलभ्य कोटा से अधिक नियुक्त हुआ कहा जा सकता है। वास्तव में यही बात थी जो सरकार ने नवीन ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय की थी, यद्यपि उसने वर्ष 1952 के प्रारम्भ से ऐसा करने की बजाय वर्ष 1953 से रिक्तियों की गणना करने में गलती की थी। वर्ष 1951 में कोई प्रोन्नतियां नहीं हुई थीं और इसलिए प्रोन्नत व्यक्तियों के कोटे से अधिक उनकी नियुक्ति का प्रश्न उस वर्ष के लिए उद्भूत नहीं होता है।

27. सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की ओर से दी गई इस दलील को कि कोटा नियम केवल स्थायी पदों की रिक्तियों से ही जोड़ा जाना चाहिए, और न कि अस्थायी पदों की रिक्तियों से जोड़ा जाना चाहिए, न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

28. न्यायालय ने पांचवां सिद्धान्त कायम रखा था जिसके अधीन वर्ग I, ग्रेड II में प्रोन्नत किए गए वर्ग II के अधिकारियों को नियम 1 (एफ) (iii) के अधीन अधिमानता देना अनुज्ञात किया था।

29. इसके पश्चात् न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि क्या कोटा नियम वर्ष 1956 के पश्चात् भी लागू किया जा सकता है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि वर्ष 1956 के पश्चात् भी सरकार वर्ष 1945 के भर्ती नियमों के नियम-4-के कारण 1951 के कोटा नियम का कई शब्दों में अभिलेख पर उल्लेख किए बिना मोटे तौर पर मार्गदर्शक नियम के रूप में उस नियम का अनुपालन करने के लिये हकदार थी। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि यदि नियम का मार्गदर्शक सिद्धान्त के रूप में अनुसरण किया जाता है तो कोटा से थोड़ा सा विचलन अनुज्ञेय हो सकता है, किन्तु यदि उससे अत्यधिक विचलन होता है तो बहुत सी अन्य बातें उद्भूत हो सकती हैं। सुसंगत परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय

का यह निष्कर्ष था कि सामान्य अनुक्रम में सरकार 1951 के कोटा नियम के अनुसार वर्ष 1958 की समाप्ति तक ज्येष्ठता सूची तैयार करने के लिए हकदार थी।

30. वर्ष 1958 के पश्चात् की स्थिति के सम्बन्ध में न्यायालय का यह निष्कर्ष था कि कोटा नियम का लागू होना समाप्त हो गया था और कोटा नियम तारीख 16 जनवरी, 1959 को समाप्त हो गया था जब राष्ट्रपति द्वारा वर्ग II, ग्रेड III के 100 स्थायी पदों को वर्ग I ग्रेड II में दर्जा बढ़ाने के लिये मंजूरी दी गई थी। इसके पश्चात् ज्येष्ठता नियम कोटा नियम में सम्मिलित हो गया था। इन बातों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ज्येष्ठता सूची तारीख 15 जनवरी, 1959 तक की गई प्रोन्नतियों के सम्बन्ध में इस सीमा तक विधिमान्य थी जहां तक वह ज्येष्ठता नियम 1 (एफ) (iii) के साथ पठित तारीख 18 अक्तूबर, 1951 के कोटा नियम के आधार पर तैयार की गई थी।

31. इस स्थिति से न्यायालय के लिए इस बात पर विचार करना आवश्यक हो गया था कि यदि ज्येष्ठता नियम 1 (एफ) (iii) तारीख 16 जनवरी, 1959 से प्रवृत्त होना समाप्त हो गया था तो सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच परस्पर ज्येष्ठता तारीख 16 जनवरी, 1959 के पश्चात् किस प्रकार से तय की जानी चाहिए थी। उचित और न्यायोचित ज्येष्ठता नियम बनाने की दृष्टि से न्यायालय को कई सुझाव दिए गए थे। न्यायालय ने ऐसे किसी विवाद में पड़ने से इनकार कर दिया था और उचित तथा न्यायोचित ज्येष्ठता नियम बनाना सरकार पर ही छोड़ दिया था और यदि आवश्यक हो तो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के लिए कहा था। उसी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ने तारीख 15 जुलाई, 1968 को ज्येष्ठता सूची अपास्त कर दी थी और सरकार को नवीन ज्येष्ठता सूची तैयार करने के लिए निदेश दिया था। वर्ष 1955 से 15 जनवरी, 1959 तक के लिए सूची ज्येष्ठता नियम 1 (एफ) (iii) के साथ पठित 1951 के कोटा नियम के अनुसार तैयार करने के लिए निदेश दिया गया था। तारीख 16 जनवरी, 1959 से प्रभावी होने वाली सूची को सरकार द्वारा नवीन रूप से बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार तैयार करने के लिए निदेश दिया गया था।

32. उल्लिखित स्थिति की दृष्टि से सिद्धान्त 6 और 7 पर पृथक् रूप से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

33. न्यायालय ने अपनी फाइल पर कार्यवाहियों को लम्बित रखा था ताकि सरकार आदेश की तारीख से छह मास के भीतर न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों की दृष्टि से नवीन ज्येष्ठता सूची तैयार करने में समर्थ हो सके। सूची फाइल कर दिए जाने के पश्चात् न्यायालय को आवेदन करने के लिए पक्षकारों को स्वतंत्रता दी गई थी।

34. **बी० एस० गुप्ता के मामले**[1] में निर्णय तारीख 16 अगस्त, 1972 को दिया गया था। तारीख 9 फरवरी, 1973 को राष्ट्रपति ने आयकर (वर्ग I) सेवा (ज्येष्ठता का विनियमन) नियम, 1973 [इन्कम-टैक्स (क्लास I) सर्विस (रेग्यूलेशन ऑफ सीनियोरिटी) रूल्स 1973] बनाए थे। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए थे और उन्हें तारीख 16 जनवरी, 1959 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी किया गया था। बी० एस० गुप्ता के मामले के निर्णय के अधीन पक्षकारों के लिए आरक्षित स्वतंत्रता के अनुसरण में नए ज्येष्ठता नियम की विधिमान्यता को प्रोन्नत व्यक्तियों द्वारा चुनौती दी गई थी। उस चुनौती पर **बिशनसरूप गुप्ता और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[2], गुप्ता वाले दूसरे मामले में विचार किया गया था और उसे इस न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया था।

35. 1973 के नए ज्येष्ठता नियम का नियम 3 इस प्रकार है—

> *"3. अधिकारियों की ज्येष्ठता—वर्ग I सेवा के आय-कर अधिकारियों की ज्येष्ठता, इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार, इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से विनियमित होगी, अर्थात् --

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

> "3. Seniority of officers—The seniority of the Income-tax Officers in the Class I service shall be regulated as from the date of commencement of these rules in accordance with the provisions hereinafter contained namely —

---

[1] [1974] 2 उम० नि० प० 1128=[1975] सप्लीमेंट एस० सी० आर० 491.

[2] [1975] 1 एस० सी० आर० 104.

(i) प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच परस्पर ज्येष्टता ऐसी प्रोन्नति के लिये चयन के क्रम में अवधारित की जाएगी और किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप प्रोन्नत अधिकारी, किसी पश्चात् वर्ती चयन के परिणामस्वरूप चुने गए अधिकारियों से रैंक में ज्येष्ठ होंगे;

(ii) सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के बीच परस्पर, ज्येष्ठता उस गुणानुक्रम (मेरिट के क्रम) से अवधारित की जाएगी जिस क्रम में उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए चुना गया है और किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति किसी पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त सब अन्य व्यक्तियों से रैंक में ज्येष्ठ होगा; और

(iii) प्रोन्नत व्यक्तियों और सीधे भर्ती वाले व्यक्तियों के बीच सापेक्ष ज्येष्ठता 1:1 में होगी और वह इस प्रयोजन के

(i) the seniority among the promotees inter se shall be determined in the order of selection for such promotion and the officers promoted as a result of any earlier selection shall rank senior to those selected as a result of any subsequent selection;

(ii) the seniority among the direct recruits inter se shall be determined by the order of merit in which they are selected for such appointment by the Union Public Service comission and any person uppointed as a result of an earlier selection shall rank senior to all other persons appointed as a result of any subsequent selection; and

(iii) the relative seniority among the promotees and the direct recruts shall be in the ratio 1:1

लिये रखे गए रोस्टर के अनुसार अवधारित और विनियमित की जाएगी और ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी—

(क) प्रोन्नत व्यक्ति,

(ख) सीधी भर्ती वाला व्यक्ति,

(ग) प्रोन्नत व्यक्ति,

(घ) सीधी भर्ती वाला व्यक्ति 1 और आगे इसी क्रम से" ।

जब इन नियमों के अनुसार सरकार द्वारा ज्येष्ठता की नई सूची तैयार की गई थी तब सरकार के पास ऐसे 73 प्रोन्नत व्यक्ति थे जिनके लिए, यद्यपि वे सन् 1956 और 1958 के बीच नियुक्त किए गये थे, आमेलन हेतु कोई कोटा पद नहीं थे। 73 प्रोन्नत व्यक्तियों की, जिन्हें तारीख 16 जनवरी, 1959 को बचे हुए व्यक्तियों के रूप में कहा गया है, तथा तत्पश्चात् प्रोन्नत व्यक्तियों को सेवा में आमेलित किया जाना था और यह कार्य केवल उस निमित्त विरचित विशेष नियम द्वारा ही किया जा सकता था।

36. न्यायधिपति पालेकर के अनुसार, जिन्होंने गुप्ता वाले दूसरे मामले में संविधान न्यायपीठ की ओर से मत व्यक्त किया था, इस सूची को तैयार करने में अंगीकृत पद्धति पर्याप्त रूप से सरल थी, यद्यपि इस नियम के शब्द उपयुक्त नहीं थे। सरकार द्वारा अंगीकृत सरल पद्धति इस प्रकार थी— वर्ष 1951 से 16 जनवरी, 1959 तक की कालावधि से सम्बन्धित क्रमांक 1 से क्रमांक 485 तक की ज्येष्ठता सूची ज्येष्ठता नियम, जो तारीख 16 जनवरी,

---

and the same shall be so determined and regulated in accordance with a roster maintained for the purpose, which shall follow the following sequence; namely—

(a) promotee;
(b) direct recruit;
(c) promotee;
(d) direct recruit; and so on."

1959 तक प्रचलित थे, के साथ पठित कोटा नियम के अनुसार तैयार की गई थी। क्रम सं० 486 से 1717 तक के अधिकारी वे अधिकारी हैं जिन्हें नये ज्येष्ठता नियम के अनुसार तारीख 16 जनवरी, 1959 से आमेलित किया जाना था। चूंकि नियम 3(iii) के अधीन रोस्टर में प्रथम पद प्रोन्नत व्यक्ति को दिया जाना था। इसलिए क्रम सं० 486 प्रोन्नत व्यक्ति को जाता है और क्रम सं० 487 सीधी भर्ती वाले व्यक्ति को और आगे इसी प्रकार उन्हें पद दिये जाने थे। प्रोन्नत व्यक्ति, जो क्रम सं० 485 से नीचे हैं, जनवरी, 1959 में या तो 73 बचे हुए व्यक्तियों में से हैं या वे व्यक्ति हैं जो तत्पश्चात् नियुक्त किए गए थे। इस प्रकार नवीन ज्येष्ठता नियम में सब प्रोन्नत व्यक्तियों को उन्हें आबंटित पदों में तारीख 16 जनवरी, 1959 से उनके आमेलन के लिए एक फार्मूला अन्तर्विष्ट है। वह उनकी परस्पर ज्येष्ठता अवधारित करता है, तथा अंत में, जो कम महत्व की बात नहीं है, वह वर्ष 1959 से नियुक्त सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के मुकाबले उनकी ज्येष्ठता अवधारित करता है।

37. न्यायालय ने 73 बचे प्रोन्नत व्यक्तियों का यह आक्षेप नामंजूर कर दिया था चूंकि गुप्ता वाले प्रथम मामले में न्यायालय ने यह निदेश दिया था कि उन्हें 'प्राथमिकता के आधार' पर आमेलित किया जाना चाहिए, इसलिए उन सब को सामूहिक रूप से तारीख 16 जनवरी, 1959 को नियुक्त किए गए रूप में ज्येष्ठता सूची में दर्शाना चाहिए था तथा उस वर्ष के सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों को उसके पश्चात् दर्शाया जाना चाहिए था। यह बात स्पष्ट की गई थी कि "प्राथमिकता के आधार पर" अभिव्यक्ति के प्रयोग से न्यायालय का जो अभिप्राय था, वह यह अभिप्राय बतलाया गया था कि वरिष्ठ रूप में बचे हुए प्रोन्नत व्यक्तियों की स्थिति पर पश्चात्वर्ती प्रोन्नत व्यक्तियों द्वारा किए गए दावों द्वारा इस आधार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कि चूंकि बचे हुए प्रोन्नत व्यक्ति कोटे से अधिक भर्ती किए गए थे, इसलिए पश्चात्वर्ती प्रोन्नत व्यक्तियों को जिनकी प्रोन्नति कोटा नियम का उल्लंघन नहीं करती है, उन 73 प्रोन्नत व्यक्तियों से उच्च अधिकार थे।

38. गुप्ता वाले दूसरे मामले में प्रोन्नत व्यक्तियों की मुख्य दलील यह थी कि चूंकि कोटा नियम तारीख 16 जनवरी, 1959 को समाप्त हो गया था इसलिए पिछड़े हुए प्रोन्नत व्यक्तियों को तथा तत्पश्चात् प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों को 1945 के भर्ती नियम के नियम 4 के अनुसार विधिमान्य रूप से

नियुक्त किए हुए समझा जाना चाहिए था। चूंकि सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के मुकाबले प्रोन्नत व्यक्तियों की ज्येष्ठता अवधारित करने के लिए कोई भी ज्येष्ठता या कोटा नियम अस्तित्व में नहीं था इसलिए नियुक्ति की पूर्ववर्ती तारीख से जुड़ी स्वाभाविक ज्येष्ठता का सम्मान किया जाना चाहिए। उसमें प्रोन्नत व्यक्तियों के प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता चूंकि ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद 16 का अतिक्रमण होगा। न्यायालय द्वारा यह दलील इस आधार पर नामंजूर कर दी गई थी कि जब 73 बचे हुए व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई थीं, तब ऐसे कोई आबंटित या चिह्नित पद नहीं थे जिन पर उन प्रोन्नत व्यक्तियों को विधिमान्य रूप से नियुक्त किया जा सकता था जिसका सामान्य परिणाम उन्हें वर्ग II के पदों पर, जो वे मूल रूप से धारित किए हुए थे, पदावनत करना था। जब तक कोटा नियम अस्तित्व में था, तब कोटा से अधिक की गई नियुक्तियां, यद्यपि वे जब की गई थीं, तब अविधिमान्य थीं, कम से कम पश्चात्वर्ती वर्षों में उस समय नियमित किए जाने लायक थीं, जब कोटा नियम के परिणामस्वरूप प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए रिक्तियां उपलभ्य थीं। चूंकि एक बार कोटा नियम तारीख 16 जनवरी, 1959 को समाप्त हो गया था, इसलिए प्रोन्नत व्यक्तियों की की गई अधिक नियुक्तियों को नियमित करने की सम्भावना समाप्त हो गई थी। प्रोन्नत व्यक्तियों के प्रति अन्याय को दूर करने के लिए सरकार द्वारा नया नियम विरचित किया गया था। नया नियम इस प्रकार न केवल गुप्ता वाले प्रथम मामले में न्यायालय के निर्णय का सीधा परिणाम था किन्तु वह उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित था जिन पर आयकर सेवा का गठन किया गया था। न्यायालय ने अन्त में यह कहा था कि इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि तारीख 16 जनवरी, 1959 से आगे नियुक्त किए गए प्रोन्नत व्यक्ति इस सूचना के आधार पर स्थानापन्न या तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए थे कि उनकी ज्येष्ठता का प्रश्न अभी भी अविनिश्चित रहा है। इस स्थिति के साथ पदों के स्पष्ट आबंटन के अभाव के कारण प्रोन्नत व्यक्तियों को अपनी ज्येष्ठता का दावा करना असम्भव हो गया था और यह दलील दी गई थी कि उन्हें अनुच्छेद 16 के अतिक्रमण में उनकी स्वाभाविक ज्येष्ठता से वंचित कर दिया गया था।

39. श्री वी० एम० तारकुंडे ने, जो 1974 के रिट पिटीशन सं० 66 में पिटीशनरों की ओर से हाजिर हुए हैं, तारीख 9 फरवरी, 1973 के नियमों

के अनुसरण में तैयार की गई नवीन ज्येष्ठता सूची को नवीन रूप से चुनौती दी है। इन नियमों की विधिमान्यता को इस न्यायालय द्वारा गुप्ता वाले दूसरे मामले में कायम रखा गया था। विद्वान् काउन्सेल के अनुसार जयसिंघानी के मामले के विनिश्चय में निम्नलिखित तीन त्रुटियां हैं—

(i) उस मामले में यह उपधारणा की गई थी कि प्रोन्नत व्यक्तियों की नियुक्तियां उनके लिए उपलभ्य कोटा से अधिक की गई थीं क्योंकि न्यायालय के समक्ष सुसंगत फाइलें उपलभ्य नहीं कराई गई थीं और न ही न्यायालय के समक्ष वास्तव में आवश्यक आंकड़े पेश किए गए थे यद्यपि अपील की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने वित्त मन्त्रालय के सचिव से उस निमित्त जानकारी पेश करने के लिए कहा था। ऐसी जानकारी के अभाव में न्यायालय ने जो यह उपधारणा की थी कि प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए उपलभ्य रिक्तियों की कुल संख्या वास्तविक रूप से की गई नियुक्तियों की कुल संख्या के बराबर थी वह न्यायोचित नहीं थी। उदाहरण के लिए यदि किसी विशेष वर्ष में 10 सीधी भर्ती वाले व्यक्ति और 20 प्रोन्नत व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं तो यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि उस वर्ष में भरे जाने के लिए केवल 30 रिक्तियां ही उपलभ्य हैं या उस वर्ष के दौरान सरकार द्वारा केवल 30 नियुक्तियां की जाना आशयित थीं। ऐसी सामग्री के अभाव में, जो सरकार द्वारा पेश की जानी चाहिए थी, न्यायालय को यह उचित अनुमान लगाना था कि यदि 2 : 1 में सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों की नियुक्तियां की जानी थीं और यदि वास्तव में 20 प्रोन्नत व्यक्ति नियुक्त किए गए थे तो सरकार 40 सीधी भर्ती वाले व्यक्ति नियुक्त करना चाहती थी किन्तु केवल 10 व्यक्ति ही नियुक्त कर सकी, सम्भवत: क्योंकि सीधी भर्ती के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलभ्य नहीं थे।

(ii) यह गलत रूप से उपधारणा की गई थी या अभिनिर्धारित किया गया था कि इन्कम टैक्स आफिसर्स (क्लास 1, ग्रेड II) सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स का नियम 4 कानूनी नियम था।

1980(4) eILR(PAT) SC 1

(ii) यह गलत रूप से उपधारणा की गई थी कि वर्ग II ग्रेड III में 100 पद, और उसी काडर में 114 पद, जिनका क्रमशः तारीख 16 जनवरी, 1959 और 9 दिसम्बर, 1960 को वर्ग I, ग्रेड II, के पदों के रूप में दर्जा बढ़ा दिया गया था, अनन्य रूप से प्रोन्नत व्यक्तियों को आबंटित किए गए थे और वास्तव में प्रोन्नत व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा भरे गए थे।

40. गुप्ता वाले दूसरे मामले के विनिश्चय के सम्बन्ध में यह दलील दी गई हैं कि उस विनिश्चय में निम्नलिखित त्रुटियां हैं—

(i) उनमें गलत रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया था कि तारीख 16 जनवरी, 1959 को 73 बचे हुए प्रोन्नत व्यक्तियों को सम्पूर्ण रूप से प्राथमिकता नहीं दी जा सकी यद्यपि गुप्ता वाले प्रथम मामले के निर्णय में यह निदेश दिया गया था कि उनके सम्बन्ध में "प्राथमिकता के आधार" पर कार्यवाही की जाए।

(ii) यह बात भी गलत रूप से अभिनिर्धारित की गई थी कि 214 प्रोन्नत व्यक्ति प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए उपलभ्य कोटा से अधिक नियुक्त किए गए थे।

(iii) यह निष्कर्ष गलत था, कि प्रोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के एक बार सामान्य-काडर में हो जाने पर उनके बीच कोई प्रभेद नहीं किया जा सकता। इस निष्कर्ष के परिणामस्वरूप प्रोन्नत व्यक्तियों को उनके अधिमानता के अधिकार से अन्यायोचित रूप से वंचित किया गया था।

(iv) 1973 के नए ज्येष्ठता नियम के नियम 3 (iii) का यह उपबन्ध कि सीधी भर्ती वाले व्यक्ति और प्रोन्नत व्यक्ति 50:50 में नियुक्त किए जाएंगे, प्रोन्नत व्यक्तियों के फायदे के लिए नहीं हो सकता क्योंकि 50 प्रतिशत का मापदण्ड वास्तविक रूप से की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में नए नियम द्वारा नियत किया गया था, जब कि पुराना अनुपात 2:1 भरी जाने के लिए उपलभ्य रिक्तियों की वास्तविक संख्या के सम्बन्ध में था।

1980(4) eILR(PAT) SC 1

41. विद्वान् काउन्सेल ने नई ज्येष्ठता सूची के कुछ उदाहरणों की सहायता से यह दर्शाया है कि किस प्रकार से सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की तुलना में प्रोन्नत व्यक्तियों के साथ अनुचित और अन्यायोचित रूप में व्यवहार किया गया है। ऐसे उदाहरणों में से एक उदाहरण सीधी भर्ती वाले व्यक्ति ऋषिकेश मिश्र का है जो तारीख 3 जुलाई, 1966 को नियुक्त किया गया था और जिसे क्रम संख्या 1001 पर रखा गया है, जब कि पिटीशनरों में से एक पिटीशनर कमल कान्ति दत्ता को, जो छह मास पहले तारीख 1 जनवरी, 1966 को नियुक्त किया गया था, क्रम सं० 1318 पर रखा गया है। दूसरा उद्धृत उदाहरण प्रोन्नत व्यक्ति, वी० आर हीरमत का है जो 1 मार्च, 1956 को नियुक्त किया गया था किन्तु क्रम सं० 486 पर रखा गया है। प्रथम 485 अधिकारी ज्येष्ठता नियम, जो तारीख 16 जनवरी, 1959 तक प्रचलित था, के साथ पठित कोटा नियम के अनुसार श्रेणीबद्ध किए गए थे। यह दलील दी गई है कि हीरमत को कोटे की आधिक्यता में नियुक्त न किए जाने से तारीख 1 मार्च, 1953 से तीन वर्ष की अधिमानता के कारण उसकी ज्येष्ठता दी जानी चाहिए थी। प्रक्रिया में उसने न केवल तीन वर्ष किन्तु छह वर्ष का फायदा खो दिया है क्योंकि उसका श्रेणीकरण तारीख 16 जनवरी 1959 के नए नियम के अनुसार किया गया है।

42. ये दलीलें डाक्टर वाई० एस० चितले द्वारा अंगीकृत की गई थीं जो 1978 के रिट पिटीशन सं० 4146 में पिटीशनर एम० के० सजनानी की ओर से हाजिर हुए थे। इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि के० के० दत्ता और अन्य के 1974 के रिट पिटीशन सं० 66 में, जो तारीख 8 फरवरी, 1974 को फाइल किया गया था, विचाराधीन मुद्दों पर इस न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्ववर्ती विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने के लिए कोई मांग नहीं की गई थी। पिटीशनरों द्वारा उन विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने के लिए प्रार्थना प्रथम बार प्रत्युत्तर में, जो अप्रैल, 1978 में इस न्यायालय में फाइल किया गया था, उनके अनुपूरक शपथपत्र के पैरा 3 में की गई थी। श्री सजनानी ने रिट पिटीशन के, जो तारीख 27 जून, 1 978 को फाइल किया गया था, पैरा 45 द्वारा यह दलील दी है कि उपर्युक्त निर्णयों का पुनर्विलोकन किया जाए, चूंकि उनका गलत रूप से विनिश्चय किया गया था श्री सजनानी ने अपने पिटीशन के पैरा 51 द्वारा और इसी प्रकार पिटीशनरों ने अपने अनुपूरक प्रत्युत्तर द्वारा सहयोगी पिटीशनों में यह मांग

की थी कि **भारत संघ** बनाम **एम० जंगमैया**[1] के मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का भी पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए।

43. श्री सजनानी ने अपने रिट पिटीशन में अपनी इस दलील के समर्थन में बहुत से विनिर्दिष्ट उदाहरण उद्धृत किये हैं कि नए ज्येष्ठता नियम के अधीन प्रोन्नत व्यक्तियों के साथ भेदभावपूर्ण एवं अनुचित बर्ताव किया गया है। उनकी शिकायत यह है कि सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों को जो आयु में 15 वर्ष कनिष्ठ हैं, और अनुभव में भी 15 वर्ष कनिष्ठ हैं, उनसे ऊपर रखा गया है तथा सहायक आय-कर आयुक्तों की तारीख 15 अप्रैल, 1978 की ज्येष्ठता सूची में, जो आयकर आयुक्त के पद पर आगे प्रोन्नति का आधार है, उसका नाम बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं है, यद्यपि वह वर्ष 1969 से सहायक आय-कर आयुक्त के रूप में कार्य कर रहा है। वर्ष 1969 में वह आय-कर अधिकारी के रूप में 22 वर्ष की सेवा, जिसमें से 10 वर्ष की सेवा वर्ग I में की गई थी, करने के पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुना गया था। सजनानी ने यह भी प्रार्थना की है कि सहायक आय-कर आयुक्त के काडर के लिए तारीख 15 अप्रैल, 1978 की ज्येष्ठता सूची संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के अतिक्रमणकारी होने के कारण अपास्त कर दी जानी चाहिए।

44. इन आधारों के अतिरिक्त, जिन पर **जयसिंघानी के मामले**[2], **गुप्त वाले प्रथम मामले**[3], **गुप्त वाले दूसरे मामले**[4] और **जंगमैया के मामले**[1] में हमारे विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने के लिए हमसे आग्रह किया गया है, पिटीशनरों ने राज्य सभा की पिटीशनों से सम्बन्धित समिति की 49वीं रिपोर्ट, जो तारीख 9 जनवरी, 1976 को पेश की गई थी, के निष्कर्षों का भी बलपूर्वक अवलम्ब लिया है। उस रिपोर्ट का पूर्ण पाठ इस न्यायालय में रिट पिटीशनरों द्वारा फाइल की गई पेपरबुक के पृष्ठ 242 से 363 पर उद्धृत किया गया है।

45. रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि तारीख 23 अगस्त, 1974 को हुई राज्य सभा की बैठक में संसद् सदस्य श्री काली मुखर्जी ने इन्कम टैक्स

---

[1] [1977] 4 उम० नि० प० 792=[1977] 2 एस० सी० आर० 28.

[2] [1967] 2 एस० सी० आर० 703.

[3] [1974] 2 उम० नि० प० 1128=[1975] सप्लीमेंट एस० सी० आर० 491.

[4] [1975] 1 एस० सी० आर० 104.

आफीसर्स (क्लास I सर्विस) (रेग्यूलेशन ऑफ सीनियोरिटी) रूल्स, 1973 के निरसन के लिए जो उसके बदले नवीन ज्येष्ठता नियम विरचित करने के लिए निवेदन करने वाला नई दिल्ली के ऑल इण्डिया फैडरेशन ऑफ इन्कम टैक्स गजटिड सर्विसेज एसोसिएशन्स के महासचिव श्री आर० सी० पाण्डे द्वारा हस्ताक्षरित पिटीशन पेश किया था। समिति ने (i) प्रोन्नत व्यक्तियों, जिनकी ओर से राज्य सभा में पिटीशन पेश किया गया था, (ii) वित्त मन्त्रालय और (iii) सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों, जिनका इण्डियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, के प्रतिनिधियों को सुना था। समिति ने साक्ष्य, ज्ञापन और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई फाइलों का परिशीलन करने के पश्चात् निम्नलिखित मत व्यक्त किया था—

> "...... विभाग वर्ष 1944 से आज तक बहुत ही अव्यवस्थित अनियमित और अवैज्ञानिक तरीके से कार्य कर रहा है। विभाग ने नीतियां, नियम आदि बनाए हैं और इसके पश्चात् कतिपय आवश्यकताओं के अनुसार विचलित होता गया है। विभाग में नई स्थिति या मांगों का वैज्ञानिक या युक्तियुक्त तरीके से सामना करने की बजाय तदर्थवाद प्रचलित कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप लगभग दो दशाब्दियों तक मुकदमा चला था। वर्ष 1944 से विभाग ने कई आयोग बनाए और आयोगों ने अपने लम्बे कार्यकाल के दौरान सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों दोनों के ही उन तर्कों को सुना था जो उनके द्वारा बलपूर्वक दिए गए थे। इससे विभाग में कटुता और सिविल युद्ध जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया था। यदि हम विभिन्न मुद्दों जैसे रिक्तियों, कोटा, ज्येष्ठता, अधिमानता, स्थायीकरण, अस्थायी या स्थायी सीधी भर्ती या प्रोन्नतियों को उचित परिप्रेक्ष्य में देखें तो उससे हमारी समझ सुकर हो जाएगी।"

समिति ने मंत्रालय द्वारा अपने समक्ष पेश की गई फाइलों की परीक्षा की और मंत्रालय के इस अभिवाक पर खेद व्यक्त किया कि महत्वपूर्ण बातों की फाइलें उपलब्ध नहीं हैं तथा यह निष्कर्ष निकाला कि 1973 के नए ज्येष्ठता नियम को निरसित कर दिया जाए। समिति ने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सिफारिश की थी।

1980(4) eILR(PAT) SC 1

"एक ही सामान्य ज्येष्ठता सूची की सम्पूर्ण धारणा छोड़ दी जानी चाहिए। 1973 की विद्यमान सामान्य ज्येष्ठता सूची के दो समूहों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए जिसमें क्रमशः सीधी भर्ती वाले व्यक्ति और प्रोन्नत व्यक्ति अपनी नियुक्ति की तारीखों के आधार पर हों। दो माध्यमों का, जो दो काडरों में परिवर्तित हो सकता है, एकीकरण आयकर अधिकारियों के स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए किन्तु सहायक आयकर आयुक्त के स्तर के पश्चात् किया जाना चाहिए।"

समिति ने यह आशा प्रकट की है कि दो ज्येष्ठता सूचियों के पृथक्करण से परस्पर ज्येष्ठता का संविवाद हल हो जाएगा और वर्ष 1956 से 1966 के बीच प्रोन्नत 434 अधिकारियों को हुई कठिनाई हल हो जाएगी। समिति ने कतिपय गणनाएं की थीं जिसके अनुसार तारीख 16 जनवरी, 1956 को पिछड़े हुए प्रोन्नत व्यक्तियों की सही संख्या 15 थी न की 731 पैरा 7(i) में यह मत व्यक्त करने के पश्चात् कि संसद, का सेवा मामलों में भी दायित्व है और कार्यपालिका अपनी कार्यवाहियों के लिए संसद् के प्रति उत्तरदायी है, समिति ने निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए अपनी रिपोर्ट समाप्त की थी :

"....यदि आवश्यक हो तो विशेष विधि अधिनियमित की जा सकती है और संविधान की नवम् अनुसूची में सम्मिलित की जा सकती है ताकि विवादों और मुकदमों के लिए भविष्य में कोई गुंजाइस न रहे और विभाग दक्षतापूर्वक और सबल ईकाई के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर सके और काले धन तथा कर अपवंचन की बुराइयों को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके तथा हमारे देश के स्थायित्व और प्रगति को सुनिश्चित कर सके।"

नवम् अनुसूची में कानूनों, नियमों और अधिसूचनाओं के कभी-कभी रखे जाने से उद्भूत होने वाली समस्याओं पर विचार करना आवश्यक नहीं है किन्तु हम यह आशा करते हैं कि किसी दिन प्रत्याभूत मूल अधिकार की समस्या हल हो जाएगी।

46. महासालिसिटर और अन्य विद्वान् काउन्सेलों ने, जो प्रत्यर्थियों की ओर से हाजिर हुए हैं, आयकर सेवा में प्रोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती वाले

व्यक्तियों के बीच विवादों में इस न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चयों पर पुनर्विचार करने के लिए पिटीशनरों के प्रयत्न का बलपूर्वक विरोध किया है। प्रत्यर्थियों ने यह दलील दी है कि हमारे समक्ष अब पेश किए गए तर्कों में से प्रत्येक तर्क पर पूर्ववर्ती विनिश्चयों में सावधानीपूर्वक पहले ही विचार किया जा चुका है और पिटीशनरों की पुनर्विलोकन के लिए मांग हारे हुये मुकदमे को पुनः जीतने का केवल एक और प्रयत्न करना है। विद्वान् महासालिसिटर ने भी हमारे समक्ष मामले को समाप्त समझने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने यह दलील दी है कि पुनर्विलोकन आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय मंजूर नहीं किये जाने चाहिए तथा उन्होंने कहा कि सेवा के मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी हल कभी भी समान उपाय के रूप में प्रोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों, दोनों का समाधान नहीं कर सकता।

47. इन विरोधी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् हमारी यह राय है कि **जयसिंघानी के मामले**[1], और गुप्ता **वाले प्रथम मामले**[2], **गुप्ता वाले दूसरे मामले**[3] और **जगनैया के मामले**[4] के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने के लिए पिटीशनरों की ओर से की गई प्रार्थना में कोई सार नहीं है।

48. हमारे समक्ष उठाये गये मुद्दों पर विचार करते समय कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस बात का स्मरण करना आवश्यक है कि वर्ष 1950 के पश्चात् लगभग एक दशाब्दी तक प्रोन्नत व्यतियों की नियुक्तियां उन उपलभ्य कोटा से अधिक की गई थी। जब तक कोटा नियम प्रवृत्त रहा था तब तक उनकी नियुक्तियों को पश्चात्वर्ती वर्षों में उनके कोटे के भीतर पदों के उपलभ्य होने पर विनियमित करना सम्भव था। किन्तु वर्ग II के पदों का वर्ग I ग्रेड II के पदों में दर्जा बढ़ाए जाने से जिनमें से 100 पदों का तारीख 16 जनवरी, 1959 को और 114 पदों का तारीख 9 दिसम्बर, 1960 को दर्जा बढ़ाए जाने से असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। पदों का इतनी अधिक मात्रा में दर्जा बढ़ाए जाने से कोटा नियम प्रातः समाप्त ही हो गया था। ऐसे पदों में, जो तत्पश्चात् भरे जाने के

[1] [1967] 2 एस० सी० आर० 703.

[2] [1974] 2 उम० नि० प० 1128=[1975] सप्लीमेंट एस० सी० आर० 491.

[3] [7975] 1 एस० सी० आर० 104.

[4] [1977] 4 उम० नि० प० 792=[1977] 2 एस० सी० आर० 28.

1980(4) eILR(PAT) SC 1

लिए उपलभ्य हुए थे, पश्चात्वर्ती आमेलन से वास्तविक रूप से ऐसी नियुक्तियों का विनियमन अभिप्रेत है जो सम्भव हो, किन्तु कोटा नियम से अत्यधिक विचलन नहीं होना चाहिए। हम इस बात की बहुत ही प्रशंसा करते हैं कि प्रोन्नत व्यक्तियों के अवसरों के लिए कोई भी दोष इस आधार पर नहीं लगाया जा सकता कि वे उनके लिए उपलभ्य कोटे से अधिक मात्रा में नियुक्त किए गए थे। तथापि उनकी नियुक्तियों से प्रशासन प्रशासकीय गड़बड़ियों को दूर करने में समर्थ हुआ होगा। किन्तु कठिन समस्या, जिसका प्रशासन को सामना करना पड़ा है, यह है कि चूंकि ऐसे प्रोन्नत व्यक्तियों के, जो उनके कोटा से अधिक नियुक्त किए गए हैं, दावों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है, तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रोन्नत व्यक्तियों की अत्यधिक नियुक्तियों के कारण सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की सेवा पर कोई असम्यक् असर न पड़े। सेवा के दो प्रवर्गों के, जिन दोनों का अपना-अपना महत्व है, विवादास्पद दावों का हल किया जाना चाहिऐ। इसी उद्देश्य से नियमों का समय-समय पर उपान्तरण किया गया है। उन मामलों में, जिनका पिटीशनर पुनर्विलोकन करवाना चाहते हैं, इन न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों में बिना किसी शंका के, किस प्रकार से यह बात सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया गया है कि केवल इस कारण प्रोन्नत व्यक्तियों को कोई कठिनाई न हो या उनके साथ कोई अन्याय न हो, क्योंकि उनकी नियुक्तियां उनके कोटे से अधिक की गई हैं।

49. यह कहना सही नहीं है कि **जयसिंघानी के मामले**[1] का निर्णय रियायत पर आधारित था या न्यायालय ने उस में विशेष निष्कर्ष निकालने के लिए अपने आपको बाध्य अनुभव किया था क्योंकि वित्त मन्त्रालय ने सुसंगत फाइलें पेश करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी या उन्हें पेश करने से इनकार किया था। न्यायालय ने वही पद्धति अपनाई थी जो उसने उन परिस्थितियों में भरी जाने के लिए उपलभ्य रिक्तियों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए संतोषजनक और वैज्ञानिक पद्धति समझी थी। न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला था कि वास्तविक नियुक्तियों की संख्या द्वारा उपलभ्य रिक्तियो की संख्या अवधारित की जानी चाहिए जो सादर, पूर्ण रूप से वैध निष्कर्ष निकाला गया था। अस्पष्ट क्षेत्र में, जहां सेवा नियम प्रवृत्त होते

---

1 [1967] 2 एस० सी० आर० 703.

1980(4) eILR(PAT) SC 1

हैं, या तो तर्क या सामान्य ज्ञान का ध्यान रखते हुए सदैव ही एक से अधिक मत अपनाना सम्भव होता है, किन्तु अन्तिम मत ऐसी कई बातों द्वारा सशर्त होना चाहिये जिससे यथासम्भव अधिकतम व्यक्तियों को न्याय प्राप्त हो सके और बहुत ही कम लोगों के साथ अन्याय हो। हम यह अभिनिर्धारित करना असम्भव मानते हैं कि **जयसिघानी वाले मामले**[1] के इस निष्कर्ष में कोई गलती थी कि भर्ती नियम का नियम 4 कानूनी नियम था पश्चात्‌वर्ती विनिश्चय यह दर्शाएंगे कि पक्षकारों के बीच मुश्किल से ही इस बारे में कोई विवाद था तथा पश्चात्‌वर्ती प्रक्रम पर किसी भी प्रकार से नियम 4 कानूनी नियम था।

50. विभिन्न मामलों में निर्णयों के विरुद्ध किये गये अन्य आक्षेप अधिकांशत: इसी प्रकार के हैं और उन्हें इन्हीं कारणों से नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।

51. हम इस बात की प्रशंसा करते हैं कि प्रोन्नत व्यक्तियों को केवल इस कारण से दण्डित नहीं किया जाना चाहिये कि उनमें से कुछ व्यक्तियों को, जो तारीख 16 जनवरी, 1959 के पश्चात् नियुक्त किए गए थे, स्थानापन्न या तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से बतला दी गई थी कि उनकी वरिष्ठता का प्रश्न अभी भी अविनिश्चित है। तथापि उनकी नियुक्तियों की परिस्थितियों के बारे में, इस बात का अवधारण करने के लिए पूर्ण रूप से उपेक्षा नहीं बरती जा सकती, कि क्या सांविधानिक सिद्धान्तों का अतिक्रमण हुआ है।

52. प्रोन्नत व्यक्तियों के साथ हुए अन्याय के उदाहरण के रूप में हमारे समक्ष उद्धृत व्यक्तिगत उदाहरणों के सम्बन्ध में व्यक्तियों के भाग्य की कसौटी पर सेवा नियम की सांविधानिकता को परखना सुरक्षित नहीं है। किसी भी नियम से, चाहे वह जिस सावधानी, उद्देश्य और दूरदर्शिता से बनाया गया हो, सेवा के कुछ सदस्यों को कुछ कठिनाई, असुविधा या उनके साथ अन्याय होना अवश्यम्भावी है। महत्वपूर्ण बात सेवा के दो महत्वपूर्ण अंगों के, जिनमें से एक युवा वर्ग है और दूसरा परिपक्व अनुभव वाला है, विरोधी दावों को हल करना आवश्यक है।

---

[1] [1967] 2 एस० सी० आर० 703.

1980(4) eILR(PAT) SC 1

53. **गुप्ता वाले दूसरे मामले**[1] में वित्त मन्त्रालय में उप सचिव श्री मेहरा द्वारा तारीख 31 अगस्त, 1973 को फाइल किया गया प्रतिशपथपत्र उस तल्लीनता को दर्शाता है जिससे सरकार ने ज्येष्ठता के आक्षेपित नियमों को विरचित करते समय सभी सम्भव हितों से परामर्श किया था। युक्तियुक्त सम्भावनाओं का क्षेत्र श्री मेहरा के शपथपत्र में निर्दिष्ट चार विकल्पों द्वारा उचित रूप से सम्मिलित है। प्रथम तीन विकल्पों से हमें होने वाली असुविधा और हानि चौथे विकल्प से होने वाली असुविधा से बहुत अधिक होगी। इसलिए अंतिम चयन चौथे विकल्प का ही किया गया था जिस के अधीन प्रोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के बीच ज्येष्ठता रोस्टर पद्धति के आधार पर वैकल्पिक रूप से तय की गई थी और रिक्तियों को वर्ष 1959 से आज तक की सम्पूर्ण कालावधि में प्रोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के बीच बराबर-बराबर विभाजित किया गया था। यद्यपि **गुप्ता वाले दूसरे मामले**[1] में प्रोन्नत व्यक्तियों ने यह कहा था कि नए ज्येष्ठता नियम उनके लिए अनुचित थे और वे ऐसा कोई युक्तियुक्त विकल्प बतलाने में असमर्थ रहे थे, रिपोर्ट के पृष्ठ 119 पर एक तथ्य बतलाया गया है जिसके कारण उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित टिप्पणी करनी पड़ी थी—

> "वे प्रोन्नति के अवसरों में वृद्धि से वास्तविक रूप से खुश हैं। किन्तु वे इस बात से दुःखी हैं कि ज्येष्ठता के कृत्रिम नियम को, जिनके कारण उन्हें अधिमानता दी गई थी, समाप्त कर दिया गया है। उनका इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रोन्नत व्यक्तियों का वर्ग I सेवा में अनुपात बढ़ा दिए जाने से, वर्ग II के बहुत से अधिकारियों को कुछ समय के पश्चात् सहायक आयुक्त के रूप में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किये जाने का अवसर प्राप्त होगा। किन्तु उन्हें इस बात का खेद है कि सहायक आयकर आयुक्त के अतिरिक्त अन्य उच्च पदों पर प्रोन्नत किए जाने के उनके अवसर अधिमानता को समाप्त करके अब विलम्बित कर दिए गए हैं।"

यह बात दर्शाती है कि सेवा से सम्बन्धित विवादों की कठिन पहेली को हल करना कितना कठिन है।

54. तथापि राज्यसभा की "पिटीशनों से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट को, जो सद्भाव से लिखी गई है, उतना महत्व नहीं दिया जा सकता

---

[1] [1975] 1 एस० सी० आर० 104.

जो प्रोन्नत व्यक्ति उसे देना चाहते हैं। यह कहा गया है कि समिति के निष्कर्ष अधिप्रमाणित हैं क्योंकि वित्त मन्त्रालय ने अपने पास उपलभ्य सुसंगत फाइलें पेश की थीं। हमारे विचार से यह तर्क सुआधारित है। अपनी रिपोर्ट के पैरा 16 में समिति ने कतिपय फाइलों को निर्दिष्ट किया है किन्तु उन फाइलों पर केवल सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में ही कुछ टिप्पणियां हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 19 में नियुक्तियों की एक तुलनात्मक विवरणी दी है किन्तु जैसा उसकी अपनी भाषा में दर्शाया गया है उससे विवाद के महत्वपूर्ण पहलू पर यह अनुमान लगाना पड़ा था कि विवरणी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की वह संख्या दर्शाती है जो सरकार भर्ती करना चाहती है तथा 'उसी आधार पर प्रोन्नत व्यक्तियों की भी प्रोन्नतियां दी जानी चाहिएं' (विशेष बल दिया गया है)। यदि वास्तव में समिति के समक्ष सुसंगत फाइलें पेश की गई होती तो उसने फाइलों पर इतना असंतोष और खेद नहीं प्रकट किया होता। हमने समिति की इन टिप्पणियों पर ध्यान दिया है जो उसकी रिपोर्ट के पैरा 32 में अभिव्यक्त की गई हैं। वे इस प्रकार हैं --

> "यह बात आश्चर्यजनक है कि बहुत सी फाइलें जो अत्यधिक प्रोन्नति के प्रश्न पर कुछ प्रकाश डाल सकती थीं, के बारे में यह कहा गया है कि वे 'खो गई है' या 'उपलभ्य नहीं हैं'। यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि फाइलों का इस प्रकार खो जाना आकस्मिकता से बहुत परे है। हम केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी उच्चतम न्यायालय तथा समिति से जानबूझकर छिपाई गई थी। यदि समिति को 1973 में विरचित ज्येष्ठता नियम से सम्बन्धित फाइल को देखने दिया जाता तो हमें कुछ और तथ्य मालूम हो सकते थे।"

इससे यह प्रकट होता है कि समिति को भी अंधेरे में रहना पड़ा था तथा अपने विचाराधीन बातों पर कुछ हद तक अनुमान ही लगाना पड़ा था। इन परिस्थितियों में समिति ने वही अच्छा काम किया है जो वह कर सकती थी तथा हम उसकी रिपोर्ट में कोई त्रुटि ढूंढ़ने के लिए उत्सुक नहीं है। किन्तु हम पिटीशनरों द्वारा हमारे समक्ष दी गई इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि समिति की रिपोर्ट हमारे निर्णय को विचलित कर देगी।

55. इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमने अपने विनिश्चयों पर पुनर्विचार करने से इनकार किया है ऐसा केवल विद्वान्

1980(4) eILR(PAT) SC 1

महासालिसिटर द्वारा उद्धृत विभिन्न मामलों, जैसे **सज्जन सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] के मामले, में अपनाए गए इस मत की दृष्टि से ही नहीं किया है कि इस न्यायालय को बहुत ही सरलता से अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन नहीं करना चाहिए बल्कि गुणागुण के आधार पर हम इस न्यायालय द्वारा पहले दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं। हमारे ध्यान में किसी नवीन और महत्वपूर्ण साक्ष्य की खोज के रूप में कोई ऐसे नवीन तथ्य नहीं लाए गए हैं जो प्रतियोगी दलीलों की बहुत ही सावधानीपूर्वक परीक्षा करने के पश्चात् इस न्यायालय द्वारा पहले किए गए विनिश्चयों के पुनर्विचार को न्यायोचित ठहराते हों। जैसा पहले उपदर्शित किया जा चुका है. पिटीशनों से सम्बन्धित राज्य सभा समिति की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि सुसंगत फाइलें अभी भी उपलब्ध नहीं हैं।

56. तदनुसार पिटीशन खारिज किए जाते हैं किन्तु खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

न्यायाधिपति देसाई—

57. मैंने अपने विद्वान् बंधु मुख्य न्यायाधिपति द्वारा तैयार किए गए निर्णय का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है, किन्तु मैं उनसे सहमत होने में अपनी असमर्थता खेद पूर्वक प्रकट करता हूं।

58. इतिहास, घटनाओं का क्रम, दी गई दलीलें तथा दलीलों का निपटारा करने वाले इस न्यायालय के तीन विनिश्चय मुख्य निर्णय में इतने स्पष्ट रूप से वर्णित किए गए हैं कि उनका दोहराना केवल एक आदर्श औपचारिकता होगी। इसलिए मैं इन पिटीशनों में उठाए गए मुद्दों पर ही सीधे चर्चा करूंगा।

59. पिटीशनरो ने, जो वर्ग I, ग्रेड II के प्रोन्नत आयकर अधिकारी है, विनिर्दिष्ट रूप से **एस० जी० जयसिंधानी** बनाम **भारत संघ और अन्य**[2], **बिशनसरूप गुप्ता** बनाम **भारत संघ और अन्य**[3] (जिसे संक्षेप में गुप्ता वाला प्रथम मामला कहा गया है), **बिशनसरूप गुप्ता और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[4] (जिसे संक्षेप में गुप्ता वाला दूसरा मामला कहा गया है) के

---

1 [1965] 1 एस० सी० आर० 933.

2 [1967] 3 एस० सी० आर० 703.

3 [1974] 2 उम० नि० प० 1128=[1975] सप्लीमेण्ट एस० सी० आर० 491.

4 [1975] 1 एस० सी० आर० 104.

1980(4) eILR(PAT) SC 1

मामलों के तीनों विनिश्चयों पर पुनर्विचार करने के लिए और **भारत संघ और अन्य बनाम मालजी जंगमैया और अन्य**[1] के मामले में प्रथम उल्लिखित मामले की सीमा तक अवलम्ब लेने के लिए निम्नलिखित आधारों पर प्रार्थना की है—

1. यह निष्कर्ष, कि आय कर अधिकारी (वर्ग I, ग्रेड II) सेवा भर्ती नियम, 1945 [इनकम टैक्स आफिसर्स (क्लास I, ग्रेड II) सर्विस रिक्रूमेण्ट रूल्स 1945] का नियम 4 कानूनी नियम है और इसलिए नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए आयकर अधिकारी वर्ग I, ग्रेड II में भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा विहित कोटा कानूनी होगा, ऐसी उपधारणा पर आधारित है जिसे इस मुद्दे से सम्बन्धित विधि के उपबन्धों का समर्थन प्राप्त नहीं है और यदि नियम 4 और नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में विहित अनुमानित कोटा दोनों ही कानूनी नहीं दर्शाए जाते हैं तो आधार जिस पर जयसिंघानी [1967] 3 एस० सी० आर० 703 का मामला आधारित है, विफल हो जाएगा क्योंकि उदाहरणत: यह बात सिद्ध की जा सकती है कि न तो नियम 4 और न ही उसके अधीन विहित कोटा कानूनी स्वरूप का था किन्तु अधिकतम वह एक प्रशासनिक अनुदेश था।

2. न्यायालय ने कोटा नियम का निर्वचन करने पर यह अभिनिर्धारित किया था कि कोटा प्रत्येक वर्ष में उस ग्रेड में उद्भूत होने वाली रिक्तियों से सम्बन्धित था। यह निकाला गया निष्कर्ष इस निष्कर्ष के अनुरूप नहीं था किन्तु प्रत्येक वर्ष में उस ग्रेड में होने वाली रिक्तियों के बारे में न्यायालय को जानकारी देने के लिए भारत सरकार की तथाकथित अयोग्यता (जिसे अब तथ्यत: असत्य दर्शाया गया है) को निभाने के लिए था जिसका परिणाम यह था कि बचे हुए व्यक्तियों की सम्पूर्ण गणना दूषित हो गई है।

3. जयसिंघानी [1967] 3 एस० सी० आर० 703, के मामले में जारी किए गए परमादेश का सरकार द्वारा गलत निर्वचन किया गया था क्योंकि यदि कोटा कानूनी था तो भी वह केवल वर्ष 1951 से 1956 के बीच ही प्रवृत्त था किन्तु सरकार ने परमादेश

---

[1] [1977] 4 उम० नि० प० 792=[1977] 2 एस० सी० आर० 28.

1980(4) eILR(PAT) SC 1

को वर्ष 1956 के बाद वर्ष 1967 तक भी प्रवृत्त होने के रूप में निर्वचन किया था और इस गलत निर्वचन को गुप्ता वाले प्रथम मामले [1975] सप्लीमेण्ट एस० सी० आर० 491 में बतलाया गया है।

4. गुप्ता वाले प्रथम मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोटे को वर्ष 1956 के बाद कानूनी रूप में मानने के लिए दिया गया परमादेश न्यायोचित नहीं था, फिर भी तारीख 16 जनवरी, 1959 तक न्यायालय ने स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से कोटा नियम को मार्गदर्शक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया था और यह माना था कि 73 प्रोन्नत व्यक्ति बच गए हैं। यदि नियम 4 कानूनी नहीं था और परिणामस्वरूप उस शक्ति के, जिसकी विहित कालावधि वर्ष 1956 में समाप्त हो गई थी, प्रयोग में विहित कोटे को किसी नियुक्ति को अविधिमान्य रूप में ठहराने के लिए इस आधार पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था कि उन प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए, जिन्हें बचे हुए व्यक्तियों के रूप में माना गया है, कोई भी आबंटित पद नहीं थे, क्योंकि स्वयं नियम 4 के अधीन सरकार को, किन्हीं विशेष रिक्तियों या ऐसी रिक्तियों को, जिनकी किसी विशेष कालावधि के दौरान भरे जाने की अपेक्षा की जा सकती है, भरे जाने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली, पद्धति या पद्धतियां और प्रत्येक पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अवधारित करने की शक्ति थी।

5. वर्ग II, ग्रेड III से वर्ग I, ग्रेड II में वर्ष 1959 से 1962 के बीच 214 पदों का दर्जा बढ़ाने में सरकार की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती थी चूंकि उस प्रक्रम पर कोई कोटा नियम नहीं था और नियम 4 सरकार को अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दो स्रोतों में से किसी भी स्रोत से भर्ती करने के लिए समर्थ बनाता था। गुप्ता वाले दूसरे मामले [1975] 1 एस० सी० आर० 104 में ज्येष्ठता नियम को कायम रखने में न्यायालय ने कोटा नियम को भूतलक्षी रूप से लागू किया था जो कि अनुज्ञेय नहीं है और उसका प्रवर्तन स्पष्ट रूप से उसकी बहुत बड़ी असंगतता को दर्शाता है क्योंकि

सीधी भर्ती वाला व्यक्ति, जो विभाग में कहीं भी न हो, या विद्यार्थी हो सकता है, किसी ऐसे प्रोन्नत व्यक्ति से आगे बढ़ सकता है जो वर्ग I, ग्रेड II में कार्य कर रहा है।

60. निःसंदेह इस न्यायालय को अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने की सांविधानिक शक्ति है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका यदा-कदा ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे किसी पुनर्विलोकन की प्रवृत्ति ऐसे प्रश्नों को अव्यवस्थित करने की होती है जिनका अन्तिम रूप से अवधारण किया जा चुका है। वास्तव में भारत संघ की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् महासालिसिटर ने हमें इस बात की चेतावनी दी है कि यदि न्यायालय अपनी उन प्रतिपादनाओं पर पुनर्विचार और उनका पुनर्विलोकन करता रहेगा जिनका इस न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से अवधारण किया जा चुका है तो इससे न्यायालय की साख दांव पर लगेगी। किसकी साख दांव पर है इसे इसी समय बतलाया जाएगा क्योंकि इस गलत पहलू की परीक्षा को छोड़ा जा सकता था, यदि ऐसी दलील न दी गई होती। भारत सरकार ने बारम्बार शपथपत्र पर शपथपत्र फाइल करके इस न्यायालय से सामग्री छिपाई है और वह महत्वपूर्ण जानकारी देने में अपनी असमर्थता दिखाई है जिस पर न्यायालय का विनिश्चय उलट सकता था, यद्यपि अभी भी उदाहरण से यह बात सिद्ध की जा सकती है कि ऐसी सामग्री और जानकारी सरकार के पास थी। यदि भारत सरकार ने ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई नहीं होती जिस पर न्यायालय द्वारा नहीं बल्कि विधानमण्डल द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की गई है तो विभाग की साख का पर्दाफाश हो जाता। इस सम्बन्ध में पिटीशनों से सम्बन्धित समिति की 49वीं रिपोर्ट का निर्देश किया जा सकता है जो तारीख 9 जनवरी, 1976 को राज्य सभा सचिवालय को पेश की गई थी। उक्त समिति ऑल इण्डिया फैडरेशन ऑफ इन्कम टैक्स गजेटिड सर्विसेज एसोसिएशन्स के महासचिव, श्री आर० सी० पाण्डे द्वारा फाइल किए गए पिटीशन का निपटारा करने के लिए स्थापित की गई थी। पिटीशन में इन्कम टैक्स आफिसर्स (क्लास I) सर्विस (रेग्यूलेशन ऑफ सीनियोरिटी) रूल्स, 1973 को निरसित करने के लिए और उसके बदले में नवीन ज्येष्ठता नियम विरचित करने के लिए प्रार्थना की गई थी। इस पिटीशन का निपटारा

करते समय विचाराधीन मुद्दे से सम्बन्धित मत को यहां पर उद्धृत किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं --

"समिति को प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण अभिलेखों के खोने के लिए किए गए अभिवाकों पर खेद है। महत्वपूर्ण फाइलों से सम्बन्धित समिति की प्रार्थनाओं के उत्तर में प्रशासन ने इसी प्रकार का अभिवाक् किया है। समिति ने एक फाइल की मांग की थी जो सम्भवतः इस प्रश्न पर सही स्थिति दर्शा सकती थी कि क्या वर्ष 1945 से 1950 तक की कालावधि के दौरान 80:20 का कोटा वास्तविक रूप से प्रवृत्त था। फाइल के खो जाने की रिपोर्ट की गई है। अन्य खोई हुई फाइल 1945 के भर्ती नियम विरचित करने से सम्बन्धित फाइल है। श्री आर० एस० दत्ता के शपथ पत्र (जो जयसिंघानी के मामले में फाइल किया गया था) से सम्बन्धित फाइल भी उपलभ्य नहीं है। ज्येष्ठता नियम, 1970 के विरचित किए जाने से सम्बन्धित हाल ही की फाइल भी उपलभ्य नहीं है। हमारे द्वारा बल दिए जाने पर उन्होंने कागजातों का एक मोटा पुलंदा पेश किया है। जिसे 'पुनर्गठित फाइल' कहा गया है। यह बात आश्चर्यजनक है कि बहुत सी फाइलों, जो अत्यधिक प्रोन्नति के प्रश्न पर सम्भवतः प्रकाश डाल सकती थीं, के बारे में कहा गया है कि वे खो गई हैं या उपलभ्य नहीं हैं। यह अपरिहार्य है कि फाइलों का इस प्रकार खो जाना आकस्मिक नहीं है। हम केवल यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी उच्चतम न्यायालय तथा समिति से जान-बूझकर छिपाई गई थी।" (विशेष बल दिया गया है)

इन मतों के आधार पर प्रशंसनीय दलील का न केवल स्पष्ट रूप से उत्तर मिलेगा किन्तु इन पिटीशनों में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने से हमें निवारित भी नहीं किया जाना चाहिए।

61. तथापि यह न्यायालय अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन सरलता से नहीं करता है, विशेषतया वहां जहां विवादास्पद दावे न्यायालय के विनिश्चय द्वारा तय हो चुके हों तथा जहां विनिश्चय पर पुनर्विचार करने से मामले में पुनः संपूर्ण कार्यवाही करना पड़े। पुनर्विचार के अभिवाक् पर

न्यायालय का निष्कर्ष **सज्जन सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] के मामले में स्पष्ट किया गया है। इस मामले में **श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव** बनाम **भारत संघ और बिहार राज्य**[2] के मामले में दिए गए इस न्यायालय के विनिश्चय पर पुर्नविचार के अभिवाक् को अस्वीकार कर दिया गया था। **सज्जन सिंह के मामले**[1] में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था—

> "तथापि इन रिट पिटीशनों की सुनवाई के दौरान हमारे समक्ष यह दलील दी गई थी कि हमें मामले पर पुर्नविचार करना चाहिए और संकरी प्रसाद के मामले (1952) एस० सी० आर० 89, में अपने पूर्ववर्ती विनिश्चय का पुनर्विलोकन करना चाहिए। यह सही है कि संविधान हमारे पूर्ववर्ती विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने के लिए या उनसे विचलन होने के लिए भी हमारी शक्ति पर कोई निर्बंधन नहीं लगता है और इस बात में कोई शंका नहीं की जा सकती कि सांविधानिक मुद्दों के विनिश्चय से सम्बन्धित मामलों में, जिनका नागरिकों के मूल अधिकारों से महत्वपूर्ण सम्बन्ध है, हम लोक कल्याण के हित में अपने पूर्ववर्ती विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने के लिए तैयार रहेंगे। निर्णीतानुसरण का सिद्धान्त इस संबंध में कठोरता से लागू नहीं हो सकता तथा कोई भी व्यक्ति इस स्थिति पर विवाद नहीं कर सकता कि उक्त सिद्धान्त को लोक कल्याण के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा सुनाए गए त्रुटिपूर्ण विनिश्चयों को चिरस्थायी नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पर भी इस सामान्य सिद्धान्त की, कि इस न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय अन्तिम होंगे, उपेक्षा नहीं की जा सकती और जब तक कि सारवान और बाध्यकारी स्वरूप की बातें ऐसा करने के लिए आवश्यक न हों, तब तक हमें पूर्ववर्ती विनिश्चयों की शुद्धता पर कम से कम शंका करनी चाहिए या उनसे विचलित नहीं होना चाहिए।"

इसी प्रकार **केशव मिल्स कम्पनी लिमिटेड** बनाम **आयकर आयुक्त, मुम्बई नार्थ**[3] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह न्यायालय अपने पूर्ववर्ती

[1] [1965] 1 एस० सी० आर० 931.

[2] [1952] एस० सी० आर० 89.

[3] [1965] 2 एस० सी० आर० 908.

1980(4) eILR(PAT) SC 1

विनिश्चयों पर पुनर्विचार और उनका पुनर्विलोकन करने की अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग करते समय स्वाभाविक रूप से कुछ युक्तियुक्त सीमाएं अधिरोपित करना चाहेगा तथा अपने पूर्ववर्ती विनिश्चयों पर पुनर्विचार और उनका पुनर्विलोकन करने के अभिवाक् को ग्रहण करने के लिए तब तक राजी नहीं होगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो कि ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और सारवान कारण हैं। यह सामान्य न्यायिक अनुभव है कि कानूनी या सांविधानिक उपबन्धों का अर्थान्वयन करने के प्रश्नों में अन्तर्वलित विधि के मामलों में प्रायः युक्तियुक्त रूप सेदो मत सम्भव होते हैं और जब न्यायिक निष्कर्ष के अनुसार दो युक्तियुक्त सम्भव मतों में से एक को चुनना होता है तब विनिश्चय करने की प्रक्रिया प्रायः बहुत ही कठिन और नाजुक होती है। इस बात का विनिश्चय करने में कि क्या पुनर्विलोकन आवश्यक है, जब दो मत सम्भव हो, तब ऐसे पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के लिए यह अभिनिर्धारित करना अनिवार्य रूप से पर्याप्त कारण नहीं होगा कि यद्यपि पूर्ववर्ती मत युक्तियुक्त रूप से सम्भव मत हैं, फिर भी वैकल्पिक मत, जिस पर पश्चात्वर्ती अवसर पर बल दिया गया है, बहुत अधिक युक्तियुक्त है। न्यायालय का विवेकाधिकार ऐसी बात द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए कि क्या लोक कल्याण के हित में या किसी अन्य विधिमान्य या अनिवार्य कारणों से यह आवश्यक है कि पूर्ववर्ती विनिश्चय का पुनरीक्षण किया जाए। इस मत की **मैंगनीज ओर इण्डिया** (I) **लिमिटेड** बनाम **क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, विक्रय-कर, जबलपुर**[1] के मामले में पुनः पुष्टि की गई थी।

62. इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए इस बात की परीक्षा करना आवश्यक है कि क्या पूर्ववर्ती तीन विनिश्चयों के पुनर्विचार के लिए पिटीशनरों द्वारा कोई मामला सिद्ध कर दिया गया है या नहीं।

63. **जयसिंघानी** के **मामले**[2] में इस रियायत के आधार पर कार्यवाही की गई है कि नियम 4 और सरकार द्वारा विहित कोटा, जो नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रति निर्देश से था, कानूनी स्वरूप के थे। इस बात पर न्यायालय के मत को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसे यहां उद्धृत किया जा सकता है—

---

[1] [1976] 4 उम० नि० प० 1083=[1976] 3 एस० सी० आर० 99.

[2] [1967] 2 एस० सी० आर० 703.

"यह बात विवादास्पद नहीं है कि इन्कमटैक्स आफिसर्स (क्लास I, ग्रेड II सर्विस) रिक्रूटमेण्ट रूल्स का नियम 4 कानूनी नियम है तथा इस नियम के अधीन रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए लागू की जाने वाली पद्धति या पद्धतियां अथवा प्रत्येक पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अवधारित करने के लिए सरकार पर कानूनी कर्तव्य अधिरोपित किया गया है।"

64. आयकर सेवा का 29 सितम्बर, 1944 को गठन किया गया था। भारत सरकार ने विद्यमान आयकर सेवा को वर्ग 1 और वर्ग 2 के रूप में वर्गीकृत किया था। स्कीम में आयकर अधिकारी वर्ग I, ग्रेड II में भागतः प्रोन्नति द्वारा और भागतः सीधी भर्ती द्वारा भर्ती करने के लिए उपबन्ध किया गया है। स्कीम भारत सरकार, वित्त विभाग (केन्द्रीय राजस्व) के तारीख 29 सितम्बर, 1944 के पत्र में उल्लिखित की गई थी। उसमें विहित कोटे का किसी पश्चात्वर्ती तारीख को पुनरीक्षण किया गया था। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि ये नियम संविधान के लागू होने से पूर्व के नियम थे और इसलिए उनके स्रोत को गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 (जिसे संक्षेप में 1935 का अधिनियम कहा गया है) से ढूंढा जाना चाहिए। 1935 के अधिनियम की धारा 241 में सेवा में भर्ती और सेवा की शर्तों के लिए उपबन्ध किया गया था। उस धारा के केवल परिशीलन से ही यह बात स्पष्ट होगी कि संघ की सेवा के मामले में नियुक्तियां करने और संघ के क्रियाकलापों से सम्बन्धित पदों पर नियुक्तियां करने की शक्ति गवर्नर जनरल को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निदिष्ट करे, प्रदत्त की गई थी। इस सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को या इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने हेतु गवर्नर जनरल द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त की गई थी। चर्चाधीन नियमों की परीक्षा करने पर अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की गई थी कि नियम या तो गवर्नर जनरल द्वारा या उनके द्वारा प्राधिकृत ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे। जैसा कि कुछ पहले बतलाया जा चुका है, नियम वित्त विभाग द्वारा बनाए गए थे तथा यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की गई थी कि व्यक्ति, जिन्होंने नियम बनाए थे, इस निमित्त 1935 के अधिनियम की धारा 241(2) के अधीन गवर्नर जनरल द्वारा प्राधिकृत किए गए थे। इसलिए यह गलत उपधारणा की गई थी कि

नियमावली का नियम 4 कानूनी था और नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निहित कोटा अवश्य ही कानूनी होना चाहिए। यह बात **जयसिंघानी के मामले**[1] में इस न्यायालय के निर्णय के सम्पूर्ण आधार को ही विफल कर देती है क्योंकि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि चूंकि कोटा कानूनी था, इसलिए किसी दिए गए वर्ष में कोटे से अधिक की गई कोई भी भर्ती अविधिमान्य होगी, तथा ऐसी भर्ती अधिक से अधिक अगले वर्ष के कोटे में ऐसी अत्यधिक नियुक्तियों को कम करके ही विनियमित की जा सकती है। यदि नियम 4 और नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रति निदेश से कोटा कानूनी नहीं थे, किन्तु केवल कार्यपालिक अनुदेश थे, तो उसके अतिक्रमण से अत्यधिक रूप से की गई कोई भी नियुक्ति अविधिमान्य नहीं होगी किन्तु अधिक से अधिक वह अनियमित होगी तथा इस मामले में नियम 4 पर साधारण रूप से विचार करने पर वह नियुक्ति अनियमित भी नहीं होगी।

65. **पी० सी० सेठी और अन्य** बनाम **भारत संघ**[2] के मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि किसी कानूनी नियमों के अभाव में सरकार सेवा के गठन और पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रशासनिक अनुदेश जारी करने के लिए अपनी कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए तब तक स्वतन्त्र है जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमण न हो। यदि मूल नियम 4 किसी विशेष कालावधि के दौरान में किसी विशेष रिक्ति को या ऐसी रिक्तियों को भरने, जिनकी भरने की अपेक्षा की जाए, तथा प्रत्येक पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को भरने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति विहित करने हेतु सरकार को समर्थ बनाता है और यदि तथाकथित कोटा कानूनी नहीं हैं किन्तु केवल मार्गदर्शक है तो सरकार कभी भी नियुक्ति करते समय नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में कार्य कर रही होगी और नियम 4 सरकार को इस बात का विनिश्चय करने का विवेकाधिकार देता है कि किस स्रोत से भर्ती की जानी चाहिए और रिक्तियों की मात्रा क्या होनी चाहिए जो किसी नियत समय पर अवश्य ही भरी जानी चाहिए तथा ऐसी नियुक्ति को अविधिमान्य नहीं कहा जा सकता।

[1] [1967] 2 एस० सी० आर० 703.

[2] [1975] 2 उम० नि० प० 934=[1975] 3 एस० सी० आर० 201.

1980(4) eILR(PAT) SC 1

66. विकल्पतः, यदि **जयसिंधानी के मामले में**[1] में की गई यह उपधारा कि नियम 4 और नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के प्रति निर्देश से कोटा चुनौती दिए जाने योग्य नहीं है, फिर भी जब इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कोटा रिक्तियों से सम्बन्धित है, तो इस असत्य अभिवाक् पर कि किसी वर्ष में रिक्तियों की संख्या के बारे में जानकारी उपलभ्य नहीं है, की गई विनिश्चय कार्यवाही इन दो कारणों से कायम रहने योग्य नहीं है अर्थात् (i) कि फाइलें अब पेश की गई हैं और (ii) उपलभ्य रिक्तियों के बारे में जानकारी के अभाव में न्यायालय इस उपधारणा पर किसी नियुक्ति को अविधिमान्य नहीं कर सकता कि प्रोन्नत व्यक्तियों के स्रोत से की गई नियुक्ति कोटा से अधिक थी। नियम 3, 4 5 को पढ़ने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कोटा रिक्तियों से सम्बन्धित था और एक प्रक्रम पर वह स्वीकार किया गया था। इस निष्कर्ष पर जब तक कि वर्षानुवर्ष रिक्तियों को दर्शाने वाली तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट रूप से सिद्ध न की गई हो, तब तक यह अभिनिर्धारित करना असम्भव होगा कि किसी वर्ष में किसी भी स्रोत से अधिक नियुक्ति की गई थी। उदाहरण के लिए किसी वर्ष में 90 रिक्तियां थीं तथा सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए 66-2/3% और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 33-1/3% कोटा था, तो सरकार इस तथ्य के बावजूद भी कि क्या 60 सीधी भर्ती वाले व्यक्ति उपलभ्य हुए हैं या नहीं, 30 व्यक्तियों की प्रोन्नति करने के लिए स्वतंत्र होगी। यह उपधारणा करने से कि दोनों स्रोतों से किसी नियत वर्ष में की गई भर्ती किसी वर्ष में रिक्तियों के बारे में जानकारी देगी, अनुचित निष्कर्ष निकलेगा क्योंकि कोटा नियम पर ध्यान दिए बिना किसी निश्चित रीति में कार्य करने के लिए सरकार की कार्यवाही से नियुक्त किए गए व्यक्तियों के लिए कठिनाई पैदा होगी, यद्यपि रिक्तियों की सही गणना करने पर नियुक्तियां विधिमान्य और वैध हो सकती हैं।

67. **जयसिंघानी के मामले**[1] में जारी किया गया परमादेश इस प्रकार था—

"तदनुसार हमारी यह राय है कि वर्ष 1951 से 1956 तक और इससे आगे के प्रत्येक वर्ष के लिए विहित कोटा से अधिक

[1] [1967] 2 एस० सी० आर० 703.

1980(4) eILR(PAT) SC 1

वर्ग II, ग्रेड III से वर्ग I, ग्रेड II सेवा में प्रोन्नत किए गए व्यक्ति अवैध रूप से प्रोन्नत किए गए हैं तथा अपीलार्थी परमादेश के स्वरूप का रिट पाने के लिए हकदार है जिसमें प्रत्यर्थी सं० 1 से 3 तक को अपीलार्थी और उसके समान अन्य अधिकारियों की ज्येष्ठता समायोजित करने के लिए और भारत सरकार के तारीख 18 अक्तूबर, 1951 के पत्र सं० एफ० 24 (2)-प्रशासन-आयकर/51 में विहित कोटा नियम के अनुसार वर्ष 1951 से 1956 तक और उससे आगे की कालावधि में भर्ती को समायोजित करने के पश्चात् विधि के अनुसार नवीन ज्येष्ठता सूची तैयार करने के लिए अनुदेश दिया गया हो । तथापि हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह आदेश वर्ग II के ऐसे अधिकारियों को प्रभावित नहीं करेगा जिन्हें सहायक आयकर आयुक्त के रूप में स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है । किन्तु यह आदेश ऐसे सब अन्य अधिकारियों को लागू होगा जिनमें वे अधिकारी भी सम्मिलित होंगे जो उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में अस्थायीरू प से सहायक आयकर आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं ''

68. सरकार ने परमादेश में वर्ष 1951 से 1967 तक की सम्पूर्ण कालावधि को सम्मिलित समझा था । जब इस बात को **गुप्ता वाले प्रथम मामले**[1] में चुनौती दी गई थी तब इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि कोटा नियम स्वबल से वर्ष 1951 से 1956 के बीच प्रवृत्त हुआ था और यदि किसी वर्ष में कोटा से अधिक प्रोन्नतियां की गई थी तो वे प्रोन्नतियां केवल उस वर्ष के लिए अविधिमान्य थीं किन्तु वे सदैव के लिए अविधिमान्य नहीं थीं तथा उन्हें पश्चात्वर्ती वर्षों के कोटे में आमेलित करके विनियमित किया जा सकता था । इस प्रकार वर्ष 1956 तक किसी भी प्रकार से कोटे को समायोजित करने से कोटा नियम अपने स्वबल से प्रवृत्त हो गया था क्योंकि उसे पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहना था तथा सरकार द्वारा कोई नवीन कोटा नियम जारी नहीं किया गया था । इसलिए वर्ष 1956 के पश्चात् नियम 4 अपने पूर्ण स्वबल से प्रवृत्त रहा था तथा किसी भी कोटा द्वारा प्रभावित नहीं था । नियम 4 ने सरकार को किसी भी कोटा नियम द्वारा, जिसे वह विहित करने के लिए बाध्य नहीं थी, अपने विवेकाधिकार पर रोक

[1] [1974] 2 उम० नि० प० 1128=[1975] सप्लीमेंट एस० सी० आर० 491.

लगाए बिना किसी भी स्रोत से भर्ती करने के लिए अनुज्ञात किया था। तारीख 16 जनवरी, 1959 को सरकार के वित्त मंत्रालय ने आयकर आयुक्तों को यह जानकारी दी थी कि राष्ट्रपति ने आयकर अधिकारी, वर्ग II के 100 अस्थायी पदों को वर्ग I में दर्जा बढ़ाने की मंजूरी दी है। तारीख 19 दिसम्बर, 1960 को वर्ग II से वर्ग I में 114 पदों का और दर्जा बढ़ाया गया था। वर्ष 1959 से 1962 के बीच इन 214 पदों को प्रोन्नत व्यक्तियों द्वारा भरा गया था। अब **गुप्ता वाले प्रथम मामले**[1] में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यद्यपि कोटा नियम वर्ष 1956 में समाप्त हो गया था, फिर भी भारत सरकार ने उसे मार्गदर्शन सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया था। सम्भव है ऐसा हुआ है। क्या मार्गदर्शक सिद्धान्त को भंग करके की गई कोई नियुक्ति न तो कानूनी होने से और न ही उसमें किसी कार्यपालिक अनुदेश का बल होने से अविधिमान्य हो जाती है, विशेषतया जब कि सरकार को नियम 4 के अधीन किसी भी कोटा नियम द्वारा रोक के बिना किसी भी स्रोत से नियुक्ति करने की शक्ति हो ? फिर भी न्यायालय का यह मत था कि वर्ष 1956 और 1959 के बीच जब 100 पदों का दर्जा बढ़ाया गया था तब बचे हुए 73 व्यक्ति थे और मार्गदर्शन सिद्धान्त से काफी मात्रा में विचलन के कारण प्रोन्नत व्यक्तियों को 2-3 वर्ष की ज्येष्ठता देने वाला अधिमानता का नियम अपनी स्वयं की त्रुटियों के कारण समाप्त हो गया था। पुनः, सादर, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि नियम 4 की यह कहकर के उपेक्षा की गयी है कि वर्ष 1956 और 1959 के बीच बचे हुए 73 प्रोन्नत व्यक्ति थे। यह नहीं कहा जा सकता कि 214 पदों का दर्जा बढ़ाया जाना और उनको प्रोन्नत व्यक्तियों द्वारा भरा जाना किसी भी प्रकार से अनियमित और अविधिमान्य होगा क्योंकि नियम 4 सरकार को किसी भी स्रोत से भर्ती करने के लिए समर्थ बनाता है।

69. **गुप्ता वाले दूसरे मामले**[2] में **गुप्ता वाले प्रथम मामले**[1] के विनिश्चय की दृष्टि से नवीन ज्येष्ठता नियम तैयार किया गया था और वह तारीख 16 जनवरी, 1959 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी किया गया था। उस में अन्य बातों

---

[1] [1974] 2 उम० नि० प० 1128=[1975] सप्लीमेंट एस० सी० आर० 491.

[2] [1975] 1 एस० सी० आर० 104.

1980(4) eILR(PAT) SC 1

के साथ यह उपलब्ध था कि प्रोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के बीच सापेक्षिक ज्येष्ठता 1:1 में होगी तथा उसका इस प्रयोजन के लिए रखे गये रोस्टर के अनुसार अवधारण और विनियमन किया जाएगा। रोस्टर में निम्नलिखित क्रम होगा, अर्थात्–

(क) प्रोन्नत व्यक्ति,

(ख) सीधी भर्ती वाला व्यक्ति,

(ग) प्रोन्नत व्यक्ति,

(घ) सीधी भर्ती वाला व्यक्ति और इसी प्रकार आगे।

70. रोस्टर की यह पद्धति निस्संदेह कोटा नियम अप्रत्यक्ष रूप से लागू करती है। एक बार रोस्टर के लागू किए जाने पर नियुक्ति का क्रम प्रोन्नत व्यक्ति, सीधी भर्ती वाले व्यक्ति, प्रोन्नत व्यक्ति फिर सीधी भर्ती वाले व्यक्ति का होता है, यद्यपि कुछ प्रोन्नत व्यक्ति समूह में आए हों और किसी पश्चात्वर्ती तारीख को कुछ सीधी भर्ती वाले व्यक्ति समूह में नियुक्त किए गए हों, रोस्टर तैयार करते समय किसी पहली तारीख वाले प्रोन्नत व्यक्ति को किसी पश्चात्वर्ती तारीख वाले सीधी भर्ती के व्यक्ति के लिए अपना स्थान छोड़ना होगा। शब्दश: व्याख्या किए जाने पर उसका यह अर्थ होगा कि सीधी भर्ती वाला व्यक्ति, जो उस समय भी सेवा में नहीं था, जब प्रोन्नत व्यक्ति की प्रोन्नति हुई थी, सम्भवत: वह विद्यार्थी रहा हो या सम्भवत: उसने प्रतियोगी परीक्षा भी पास न की हो, फिर भी वह सामने आकर ऐसे व्यक्ति को चुनौती दे सकता है जो कई वर्षों से विभाग में पहले से सेवा कर रहा है। उदाहरण के लिए **गुप्ता वाले प्रथम मामले[1] में इस न्यायालय द्वारा किए गए और गुप्ता वाले दूसरे मामले[2]** में इस न्यायालय द्वारा कायम रखे गए आदेश के अनुसरण में सरकार द्वारा तैयार की गई नवीन ज्येष्ठता सूची में 1962 के प्रोन्नत व्यक्ति को 1966 के सीधी भर्ती वाले व्यक्ति के लिए अपना स्थान छोड़ना होगा। बहुत ही हिचकिचाहट के साथ मुझे यह कहना चाहिए कि सेवा सम्बन्धी विधि शास्त्र मुश्किल से ही ऐसी स्थिति अनुज्ञात करता है जहां कोई व्यक्ति जो सेवा में न हो, आकर के ऐसी किसी बात को चुनौती देता हो जो उसके

---

[1] [1974] 2 उम० नि० प० 1128=[1975] सप्लीमेंट एस० सी० आर० 491.

[2] [1975] 1 एस० सी० आर० 104.

1980(4) eILR(PAT) SC 1

सेवा में आने से बहुत पहले की गई है, और ऐसा लाभ प्राप्त करता है जो सेवा में प्रत्यक्षतः अनुचित प्रतीत होता है । किन्तु इसके अतिरिक्त वर्ष 1959 में भी कोई कोटा नियम नहीं था और यह उपधारणा करने पर भी कि प्रोन्नत व्यक्तियों को अधिमानता देने वाला पुराना सेवा नियम बहुत से प्रोन्नत व्यक्तियों को प्रोन्नत किए जाने के कारण समाप्त हो गया है, सरकार ऐसी नवीन ज्येष्ठता सूची तैयार नहीं कर सकती, जो तब तक प्रभावी नहीं की जा सकती जब तक कि ऐसा रोस्टर न बनाया गया हो जो कोटे को अप्रत्यक्ष रूप से लागू करता हो और जो प्रवर्तन में इतना अनुचित हो कि 1962 के प्रोन्नत व्यक्तियों को 1966 के सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपना स्थान छोड़ना पड़े । अब पुराने अधिमानता नियम के अधीन प्रोन्नत व्यक्तियों को सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के ऊपर 2-3 वर्ष की सेवा की अधिमानता दी गई थी क्योंकि सीधी भर्ती वाले व्यक्ति 2-3 वर्ष की कालावधि के लिए नियमित रूप से निर्धारण कार्य करने में असमर्थ थे जब कि वे अधिकांशतः प्रशिक्षण ले रहे होते हैं जब कि प्रोन्नत व्यक्ति इस काम को कई वर्षों से कर रहे होते है तथा उनका अनुभव अधिमानता में प्रतीत होता है । सम्पूर्ण बात अब उल्टे रूप से प्रतीत होती है चूंकि अप्रशिक्षित सीधी भर्ती वाले व्यक्ति अनुभवी व्यक्तियों के ऊपर कार्य करते हैं । नए नियम का अनौचित्य प्रत्यक्षतः ही व्यापक रूप से दिखाई देता है ।

71. यह नियम सेवा विधि शास्त्र में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त इस एक अन्य महत्वपूर्ण नियम का अतिक्रमण करता है कि ज्येष्ठता के किसी विधिमान्य नियम के अभाव में निरन्तर स्थानापन्नता की तारीख ज्येष्ठता के विधिमान्य नियम का उपबन्ध करती है । यह नियम इन दो कायम न रहने योग्य उपधारणाओं के अधीन समाप्त हो जाता है कि कोटा नियम, जिसे मार्गदर्शक सिद्धान्त के रूप में मान्यता प्राप्त है, आज्ञापक स्वरूप का बनाया गया है और वर्ष 1956 और 1959 के बीच प्रवृत्त समझा जाता है । यद्यपि सरकार ने अपनी स्वयं की आवश्यकता के लिए नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 214 प्रोन्नत व्यक्तियों को उन्नत श्रेणी के पदों पर प्रोन्नत किया था फिर भी उन्हें भविष्य में ऐसे सीधी भर्ती वाले कुछ व्यक्तियों के लिए स्थान छोड़ना चाहिए जो किसी पश्चात्वर्ती तारीख को विभाग में आ सकते हैं । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए स्थिति कायम रखी थी कि ये तदर्थ नियुक्तियां थीं और उन प्रोन्नत व्यक्तियों

के लिए कोई नियमित पद नहीं थे। यह निष्कर्ष नियम 4 के प्रभाव और बल की पूर्णतया उपेक्षा करता है।

72. निश्चितता और निरन्तरता की यह मांग है कि इस न्यायालय को सुस्थिर विनिश्चयों या हल किए गए प्रश्नों पर तब तक पुनर्विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई बाध्यकारी आवश्यकता न हो। यह हो सकता है कि प्रोन्नत और सीधी भर्ती वाले आयकर अधिकारियों का भाग्य इस न्यायालय के तीन विनिश्चयों से सम्बन्धित हो। उनमें से कुछ के प्रति अन्याय स्वयं ही उन विनिश्चयों के पुनर्विलोकन और पुनर्विचार के लिए अच्छे और बाध्यकारी कारण उपबन्धित नहीं कर सकता। इसलिए यदि हमारे विचारार्थ केवल एकमात्र वही मुद्दा होता तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के विद्वान मुख्य न्यायाधिपति के विनिश्चय से सहमत हो जाता। किन्तु एक और भी बाध्यकारी आवश्यकता है जो इन कुछ लाइनों को लिखने के लिए मुझे बाध्य कर रही है।

73. **जयसिंघानी**[1] **और गुप्ता वाले दोनों मामले**[2,3] उनमें प्रतिपादित सिद्धान्तों के लिए इस न्यायालय के समक्ष कई बार उद्धृत किए गए हैं। इसलिए ये विनिश्चय इस न्यायालय के तथा उच्च न्यायालयों के पश्चात्वर्ती विनिश्चयों को प्रभावित करते हैं। इन तीन मामलों में प्रतिपादित कुछ सिद्धान्त इस न्यायालय के कुछ अन्य विनिश्चयों से काफी भिन्न हैं और वास्तव में स्वयं इस न्यायालय ने यह चेतावनी देना आवश्यक समझा है कि इन विवादास्पद विनिश्चयों का समेकन करना आवश्यक हो सकता है। इस सम्बन्ध में **एन० के० चौहान और अन्य** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य**[4] के मामले का निर्देश किया जा सकता है जिसमें इस न्यायालय ने दो विभिन्न मार्गों पर ध्यान आकर्षित करते हुए विनिश्चयों के दो समूहों को निर्दिष्ट करने के पश्चात् निम्नलिखित मत व्यक्त किया था—

---

[1] [1967] 2 एस० सी० आर० 703.

[2] [1974] 2 उम० नि० प० 1128=[1975] सप्लीमेंट एस० सी० आर० 491.

[3] [1975] 1 एस० सी० आर० 104.

[4] [1977] 1 उम० नि० प० 615=[1977] 1 एस० सी० आर० 1037.

"कुछ भी हो, हम एक ऐसी न्यायिक पद्धति में रहते हैं जहां पूर्ववर्ती अदालती विवेक, जब तक कि सक्षमता से उलट न दिया गया हो, न्यायालय को आबद्ध करता है। हमारे समक्ष उद्धृत विनिश्चय मेरबिन काउन्टिण्डों और अन्य **बनाम** सीमाशुल्क कलक्टर, मुम्बई (1966) 3 एस० सी० आर० 600, वाले महत्वपूर्ण मामले से प्रारम्भ होते हैं और बदामी **बनाम** मैसूर राज्य और अन्य, [1976] 1 एस० सी० आर० 815 वाले अन्तिम निर्णय से समाप्त होते हैं। इस लम्बे समय के दौरान न्यायिक मत में कई उलट-फेर हुए हैं किन्तु तर्क-आधार की सामान्य कड़ी को ढूंढ लेना कठिन नहीं है। तथापि एक और मेरविन काउन्टिण्डो वाले मामले, [1966] 3 एस० सी० आर० 600, और गोविन्द दत्तात्रेय केलकर और अन्य **बनाम** मुख्य नियन्त्रक, आयात और निर्यात तथा अन्य, [1967] 2 एस० सी० आर० 29 वाले मामले तथा दूसरी ओर एस० जी० जयसिंघानी **बनाम** भारत संघ, [1967] 2 एस० सी० आर० 703, बिशनस्वरूप गुप्ता **बनाम** भारत संघ [1975] सप्लीमेंट एस० सी० आर० 491, भारत संघ **बनाम** बिशन स्वरूप गुप्ता, [1975] 1 एस० सी० आर० 104 और ए० के० सुब्रमण और अन्य **बनाम** भारत संघ, [1975] 2 एस० सी० आर० 979 के विनिश्चयों के बीच निर्णयाधार में काफी अन्तर है। विशेष रूप से चक्रानुक्रम पद्धति और वर्ष को इकाई मानने की बाबत इस न्यायालय को मतभेद को दूर करके सामंजस्य स्थापित करना होगा, जब तक कि सरकार अपने सेवा नियमों को उचित रूप से प्ररूपित करने की आवश्यकता के प्रति सजग नहीं हो जाती जिससे कि उसके सेवकों की शक्ति को मुकदमेबाजी में नष्ट होने से बचाया जा सके।"

74. किसी भी समय यह सुझाव नहीं दिया गया है और मैं बहुत ही आदरपूर्वक यह कहुंगा कि ऊपर उल्लिखित तीनों विनिश्चय सही नहीं हैं। अब पेश की गई सामग्री की दृष्टि से, विशेषतया उन फाइलों की दृष्टि से जो न्यायालय और समिति के सामने पेश करने से रोक ली गई थीं, एकमात्र मत जो मैं अभिव्यक्त करता हूं, वह यह है कि इन विनिश्चयों पर पुनर्विचार करने के लिए एक प्रबल मामला सिद्ध करने हेतु अभिलेख पर पर्याप्त रूप से

बाध्यकारी और आवश्यक सामग्री पेश की गई है। तदनुसार मेरे विचार से वर्तमान दोनों पिटीशन भारत के माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा गठित बृहतर न्यायपीठ के समक्ष पेश किए जाने आवश्यक हैं।

आदेश

75. बहुमत की राय से रिट पिटीशन खारिज किए जाते हैं और खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

रिट पिटीशन खारिज किए गए।

जैन/क०